रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1981 (माघ 18, 1902)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	107
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	149
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	149
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	211
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	431
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	41
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1143
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	77
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	7
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की कोई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	751
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	25

* पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	107
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	149
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	--
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	149
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1143
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	77
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	7
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	751
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	25

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1981

सं० 9/9/79-क० मं०-II—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मई 1981 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा-ग्रेड "घ" में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2 यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3 परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

(i) भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं भी शामिल हैं, किन्तु जिनके अंतर्गत असाम राइफल्स, सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते, शपथ ग्रहण के पश्चात् कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में) सेवा की है, और

(क) जिसे उसने अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा अध्यक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथा पूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानान्तरित किए जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है, या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है।

(ii) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें शारीरिक दोष हो अथवा अंग-विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो।

परीक्षा में बैठने वाले शारीरिक रूप से विकलांग तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को सहायक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति), आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 [(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित] संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978।

4 (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो या

(ङ) ऐसा मूल भारत का व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तनजानिया। (भूतपूर्व नागालिका व जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे तथा इथोपिया से आया हो।

परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है, जब उसे यह मंत्रालय/विभाग आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे जो उस पद से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि 1-1-1981 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरे 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1956 से पहले और 1 जनवरी, 1963 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में आशु-लिपिकों (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं) लिपिकों/आशु टंककों/हिन्दी लिपिको/हिन्दी टंककों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1981 को जिन्होंने आशुलिपिकों (जिनमें भाषा आशुलिपिक भी शामिल हैं) लिपिकों/आशु-टंककों/हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 2 वर्ष निरन्तर सेवा की है तथा उक्त पदों पर तभी तक काम कर रहे हैं।

(ग) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो सशस्त्र सेना उनकी कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 5(ग) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आधार पर सेवा ("काल आफ सर्विस") की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(घ) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और ढील दी जा सकेगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदभाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

[(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या इसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से सदभाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिको को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा-सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही मे विकलांग होने के परिणाम स्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः/ भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम मे भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नही आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(xiv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात जिसका कोई अंग विकृत है तो, अधिक से अधिक 10 वर्ष और

(xv) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुर्नविवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) तक।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों में इस समय कार्य कर रहे उन तदर्थ ग्रेड "ब" आशुलिपिकों के मामले में भी ऊपरी आयु सीमा मे छूट दी जा सकती है जिन्हे रोजगार कार्यालयो के माध्यम से नियुक्त किया गया है, परन्तु शर्त यह है कि तदर्थ आधार पर ग्रेड "ब" में अपनी नियुक्ति के समय वे आयु सीमाओं के भीतर थे।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नही दी जा सकती है।

ध्यान दें : (i) जिस उम्मीदवार को नियम 5 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(ii) ऐसा आशुलिपिक (भाषा आशुलिपिक सहित/लिपिक/आशु-टंकक/हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक) जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है अथवा जिसे किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है परन्तु उसका धारणाधिकार उस पद पर है जिस से वह स्थानान्तरित किया गया था, यदि वह अन्यथा पात्र है परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

6. उम्मीदवारों ने भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा अवश्य पास की हो, अथवा उसके पास किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड के द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अंत में हाई स्कूल परीक्षा या कोई और प्रमाण-पत्र हो जो राज्य सरकार/भारत सरकार की नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष हो।

नोट 1:—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयोग की परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

नोट 2:—विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकती है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर केन्द्रीय सरकार के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है।

7. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है।

तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सूत्र के दूसरे वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सरकारी नौकरी में हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे आशुलिपि परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से आयोग को एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना होगा।

9 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व रक्षा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के मैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

12 सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के नोटिस के अंतर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क देना होगा।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है अथवा,

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर अभद्र बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, या

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो,

(xi) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित कर्मों अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो।

15 परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और उस क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ख" में इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित संख्या तक के नामों की सिफारिश की जाएगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाए बशर्ते कि ये उम्मीदवार

इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हो। आयोग द्वारा जिन भूतपूर्व सैनिकों को परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाएगा वे उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने के पात्र होंगे चाहे इस परीक्षा की योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो।

परन्तु यह भी कि यदि सामान्य स्तर में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, सेवा में चयन करने के लिए उनकी सिफारिश की जाए बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं में चयन के लिए उपयुक्त हों।

16. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

17. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

18. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

एन० एस० शकरन,
अवर सचिव

परिशिष्ट-I

भाग क—लिखित परीक्षा

परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक और पाठ्य विवरण तथा स्तर निम्न प्रकार होंगे :—

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
(i) सामान्य अंग्रेजी	1⅔ घंटे	100
(ii) निबन्ध	1 घंटा	50
(iii) सामान्य ज्ञान	1⅔ घंटे	100

टिप्पणी :—सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

स्तर तथा पाठ्य विवरण :

टिप्पणी :—प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

सामान्य अंग्रेजी : यह प्रश्न पत्र इस ढंग से तैयार किया जाएगा कि इससे उम्मीदवार के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध अंग्रेजी लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। भाषा की क्रम बद्धता, सामान्य अभिव्यक्ति तथा कुशल प्रयोग को मूल्यांकन के समय ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न पत्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग, सरल मुहावरों और अव्ययों (प्रीपोजीशन), डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आदि पर प्रश्न रखे जा सकते हैं।

निबन्ध : कई विशिष्ट विषयों में से एक पर निबन्ध लिखना होगा।

सामान्य ज्ञान : निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी —

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, वर्तमान घटनाक्रम, सामान्य विज्ञान और दिन-प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े-लिखे व्यक्ति को होनी चाहिए। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिए कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्य पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

1. उम्मीदवारों को "निबन्ध" के प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने का विकल्प होगा। जो उम्मीदवार "निबन्ध" के प्रश्न पत्र का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षा भी हिन्दी में ही देनी होगी तथा जो उम्मीदवार "निबन्ध" प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी में देने का विकल्प देंगे उन्हें आशुलिपि परीक्षा भी अंग्रेजी में ही देनी होगी।

टिप्पणी :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निबन्ध के प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि परीक्षा हिन्दी (देवनागरी) में देने के इच्छुक हों वे यह विकल्प आवेदन पत्र के उपयुक्त कालम में लिखें। अन्यथा, यह माना जाएगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा अंग्रेजी में देंगे।

एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

4. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग की विवेचना अनुसार न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

5. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

6. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों में पूर्णांकों में से 5 प्रतिशत अंक काट लिये जाएंगे।

7. निबन्ध के प्रश्न पत्र की परीक्षा में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

भाग-ख

हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा 300 अंक

(लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

आशुलिपि परीक्षा के बारे में ब्यौरे इस प्रकार होंगे :—

आशुलिपि परीक्षा की योजना

उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक श्रुत लेख की परीक्षा देनी होगी। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 65 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा और जो उम्मीदवार हिन्दी में परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें 75 मिनट में सामग्री का लिप्यन्तर करना होगा।

1. उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट टकण मशीन पर लिप्यन्तर करने होंगे, और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी टकण मशीन लानी होगी।

2. जो उम्मीदवार हिन्दी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें अपनी नियुक्ति के बाद अंग्रेजी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी और जो उम्मीदवार अंग्रेजी में आशुलिपि परीक्षा देने का विकल्प देंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि सीखनी आवश्यक होगी।

परिशिष्ट-II

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा से संबंधित संक्षिप्त विवरण

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं —

(1) ग्रेड-क रुपए 650-30-740-35-810-द० रो-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 ।

(2) ग्रेड-ख रुपए 650-30-740-35-880-द० रो०-40-1040 ।

(3) ग्रेड-ग रुपए 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 ।

(4) ग्रेड-घ : रुपए 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 ।

2. उक्त सेवा के ग्रेड-घ में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । इस अवधि के दौरान उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने पड़ सकते हैं और परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं ।

3 परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके पद पर स्थायी कर सकती है या यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असंतोष जनक रहा हो तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा अवधि जितनी और बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

4. सेवा के ग्रेड-घ में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों का या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा । किन्तु उसकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है ।

5. सेवा के ग्रेड-घ में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति किये जाने के पात्र होंगे ।

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1981

सं. एफ. 17011/2/80.ए.आई.एस. (4).—भारतीय वन सेवा में रिक्तियों को भरने के लिए 1981 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :—

1. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जायेगी । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जाएंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट-1 में निर्धारित ढंग से लेगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

3. उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) ऐसा भारत मूलक व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, (भूतपूर्व टांगानीका तथा जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों और वियतनाम से आया हो ।

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है जिसके बारे में पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो किन्तु उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही भेजा जा सकता है।

4. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जुलाई 1981 को 21 वर्ष पूरी हो गई हो किन्तु 28 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जुलाई 1953 से पहले और 1 जुलाई 1960 के बाद नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित अधिकतम आयु में निम्नलिखित स्थितियों में छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से प्रव्रजन कर आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से मूलरूप से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ या आने वाला मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;

(6) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ;

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ;

(8) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए ;

(9) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों और जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं ;

(10) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों ;

(11) सीमा सुरक्षा बल के ऐसे कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो वर्ष 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हों ;

(12) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात-काल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष ; और

(13) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया, (भूतपूर्व टांगानीका तथा जंजीबार) संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी ।

5. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मण्डल द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था से प्राप्त वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू-विज्ञान, गणित, भौतिकी और प्राणि विज्ञान में से एक विषय के साथ स्नातक डिग्री अवश्य होनी चाहिए अथवा कृषि विज्ञान या इंजीनियरी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए ।

नोट 1—कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दे दी है, जिसके पास करने पर वह आयोग की परीक्षा में बैठने का शैक्षिक रूप से पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा-फल की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, आयु की परीक्षा, में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा ।

नोट 2—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है, जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हों जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे ।

6. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 5 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

7. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

8. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

9. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा ।

10. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी पाया हो या दोषी घोषित कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन में तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों, अथवा

(8) उत्तर-पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों; अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए उकसाने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अनर्ह ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से अपवर्जित किया जा सकता है और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है ।

11. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय में निश्चित करें तो उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है ।

12. परीक्षा के बाद आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम में उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जायगी । ये नियुक्तियां जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय किया जाता है उसको देखकर होंगी ।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों ।

13. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

14. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

15. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमें वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिये आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा करायी जा सकती है। उम्मीदवार द्वारा स्वस्थ परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा ।

नोट : कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 3 में दिये गये हैं । रक्षा सेनाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को और 1971 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गये सीमा सुरक्षा दल के कर्मिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलने की और महिला उम्मीदवारों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलने की स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षमता की शर्त की ओर विशेषत: ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

16. ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, या

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे पुरुष/स्त्री तथा जिस स्त्री/पुरुष से उसने विवाह किया हो, उन पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन ऐसा किया जा सकता हो और ऐसा करने के अन्य आधार हों तो उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है ।

17. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है ।

18. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

वी. आर. श्रीनिवासन
अवर सचिव

परिशिष्ट-1

खण्ड-1

परीक्षा की रूपरेखा

भारतीय वन सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(क) लिखित परीक्षा :—

(1) दो अनिवार्य विषय अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान (नीचे खंड-2 का उपखण्ड (क) देखें ।)
पूर्णांक 300

(2) निम्नलिखित खंड-2 के उपखण्ड (ख) में दिए गए वैकल्पिक विषयों में से चुने गए विषय । इस उपखण्ड की व्यवस्था के अधीन उम्मीदवार उनमें से कोई दो विषय लें । 400
पूर्णांक 400

(ख) ऐसे उम्मीदवारों का, जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए (इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग ख के अनुसार) बुलाए जाएंगे, का व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार ।

खण्ड-II

परीक्षा के विषय :—

अनिवार्य स्थित [ऊपर खंड-I के उपखंड (क) (i) के अनुसार] :—

(1) सामान्य अंग्रेजी	पूर्णांक	150
(2) सामान्य ज्ञान	पूर्णांक	150

(ब) वैकल्पिक विषय--ऊपर खंड-I के उपखंड (क) (ii) के अनुसार —

विषय	कोड संख्या	पूर्णांक
कृषि विज्ञान	01	200
वनस्पति विज्ञान	02	200
रसायन विज्ञान	03	200
सिविल इंजीनियरी	04	200
भू-विज्ञान	05	200
कृषि इंजीनियरी	06	200
रसायन इंजीनियर	07	200
गणित	09	200
यांत्रिक इंजीनियरी	10	200
भौतिकी	11	200
प्राणि विज्ञान	12	200

परन्तु उपर्युक्त विषयों पर निम्नलिखित पाबंदियां लागू होंगी :—

(1) कोई भी उम्मीदवार कोड 01 तथा 06 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा ।

(2) कोई भी उम्मीदवार कोड 03 तथा 07 वाले विषयों को एक साथ नहीं ले सकेगा ।

नोट : ऊपर लिखे विषयों का स्तर और पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है :

खण्ड -III

सामान्य

1. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे ।

2. उपर्युक्त खंड-II के उपखण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा । उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी ।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है ।

5. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे ।

6. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रम-बद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग की और सही हो ।

8. प्रश्न-पत्र में आवश्यक होने पर केवल प्रश्नों में तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे ।

अनुसूची

भाग-क

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का स्तर ऐसा होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान/इंजीनियरी ग्रेजुएट से आशा की जाती है ।

अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालयों की स्नातक उपाधि (पास) के समान होगा ।

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जाएगी ।

सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उसकी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के कार्य साधक प्रयोग की जांच हो सके ।

सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का ज्ञान तथा प्रतिदिन के प्रेक्षण और अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

नोट :—सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में केवल वस्तुपरक प्रश्न होंगे । नमूने के प्रश्नों सहित ब्यौरों के लिए कृपया आयोग के नोटिस के अनुबंध 2 में उम्मीदवारों के लिए सूचना विवरणिका देखें ।

कृषि विज्ञान (कोड-01)

उम्मीदवारों को नीचे खण्ड (क) और (ख) या खण्ड (क) और (ग) में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे ।

(क) कृषि-अर्थशास्त्र

कृषि अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र, अध्ययन का महत्व तथा अन्य विज्ञानों से संबंध, भारतीय आर्थिक स्थिति में कृषि का महत्व, राष्ट्रीय आय में उसकी देन, अन्य देशों से तुलना, भारतीय कृषि उत्पादन, विपणन, श्रम, उधार इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ।

फार्म प्रबन्ध के अध्ययन के तरीके, इसका अर्थ तथा क्षेत्र, अन्य भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से संबंध, फार्म प्रबन्ध की अवधारणाएं और मूल सिद्धांत । फार्म के निर्धारण के प्रकार और तरीके, भूमि, जल, श्रम और उपस्कर के लाभकारी प्रयोग का आयोजन, फार्म की क्षमता को मापने के तरीके, फार्म के हिसाब-किताब के प्रकार और उद्देश्य, फार्म के अभिलेख तथा लेखे, वित्त लेखा-विधि उद्यम---लेखा-विधि तथा वर्ण लागत लेखा-विधि ।

(ख) शस्य विज्ञान

फसल उत्पादन---खरीफ की फसलों--- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, सनई, मूंग, उड़द---का विस्तृत अध्ययन जो उनके प्रारंभ, वितरण, बीज डालने योग

भूमि तैयार करने, सुधरी किस्म, बुआई तथा बीजों के मिश्रण की मात्रा, कटाई, भंडार, फसलों के भौतिक निवेश के सन्दर्भ में हो ।

रबी की महत्वपूर्ण फसलों गेहूं, जौ, चना, सरसों, ईख, तम्बाकू, बरसीम का विस्तृत अध्ययन, जो उनके उद्गम इतिवृत, बटन, भूमि तथा जलवायु की आवश्यकताएं, बीज की क्यारियों की तैयारी, सुधरी प्रकार की किस्में, बोना और बीज की मिश्र दर, कटाई, भण्डार में रखने, फसलों के भौतिक निवेश के सन्दर्भ में हो ।

घास-पात और घास-पात नियंत्रण---घासपात का वर्गीकरण, भारत की प्रमुख घास-पात के प्राकृतिक वास तथा विशेषताएं, घास-पात के कुप्रभाव तथा उसके द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानियां, घास-पात के बोने की प्रमुख एजेन्सियां और घास-पात पर संवर्धन, जैविक और रासायनिक नियंत्रण ।

सिंचाई और जल निकास के सिद्धांत-सिंचाई जल की आवश्यकता और स्रोत, फसलों को जल की आवश्यकता की मात्रा, साधारण जल की लिफ्टें, जल, मान, सिंचाई के जल को व्यर्थ जाने से रोकना, सिंचाई के तरीके और ढंग, प्रत्येक ढंग के लाभ और सीमाएं । सिंचाई के जल की माप, पृथ्वी की नमी, पृथ्वी की नमी के विभिन्न प्रकार और उनका महत्व, जल निकास और इसकी आवश्यकता, जल की अधिकता के कारण क्षति पहुंचना, जल निकास के ढंग ।

मृदा-विज्ञान और मृदा संरक्षण

मृदा (सोयल) की परिभाषा, इसके मुख्य अंग, मृदा, प्रोफाइल, मृदा खनिज कोलाइड्स, धनायन विनियम क्षमता आधार संतृप्ति प्रतिशत, आयन विनियम, पौधे की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ, भूमि में उनकी आकृति और पौधे के पोषण में उनका कार्य, मृदा जैव पदार्थ, इसका गलना और इसका भूमि के उपजाऊ होने पर प्रभाव । एसिड और क्षारीय, मिट्टी, उनकी बनावट और भूमि उद्धार। भूमि गुणों पर आर्गेनिक खादों, हरी खादों और उर्वरकों का प्रभाव । साधारण नाइट्रोजनी, फास्फाटिक और पोटेशीय उर्वरकों के गुण ।

यांत्रिक बनावट और भूमि की रचना, भूमि रन्ध्रान्तर, भूमि संरचना, भूमि जल, भूमि जल के प्रकार, इसकी रुकने की क्रिया, भूमि जल का सुलभ होना तथा भूमि जल की माप । भूमि का तापमान, भूमि वायु तथा इसका महत्व, भूमि संरचना, इसके प्रकार, तथा भूमि के भौतिक रासायनिक गुणों पर उनका प्रभाव ।

भूमि अकारिकी और भूमि का सर्वेक्षण––भूमि का टूटना, मृदा बनाने वाली चट्टानों और खनिज, मृदा बनाने में उनका घटन और महत्व । चट्टानों तथा खनिजों का अपक्षय; मृदा बनाने के कारण और प्रक्रम, संसार के बड़े मृदा समूह तथा उनका कृषि संबंधी महत्व । भारतीय मृदाओं का अध्ययन । मृदा का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण ।

भूमि संरक्षण के सिद्धांत––मृदा का अपरदन, अपरदन के कारण, भूमि संरक्षण, शस्य तथा इन्जीनियरी तरीकों से संबंधित मृदा के गुण, कृषि भूमियों के लिए भूमि से जल निकास की आवश्यकताएं तथा प्रचलित तरीके, भूमि प्रयोग का वर्गीकरण, भूमि संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रम ।

वनस्पति विज्ञान (कोड 02)

1. पादप जगत का सर्वेक्षण––पशुओं तथा पादपों में अन्तर; जीवित प्राणियों के गुण; एक सैल तथा अधिक सैल वाले प्राणी; वाइरस; पादप जगत के विभाजन का आधार ।

2. आकारिकी––(1) एक सैल वाले पादप-सैल, इसकी बनावट तथा अंग, सैलों का विभाजन तथा गुणन ।

(2) अधिक सैल वाले पादप––

संवहनी और संवहनी-रहित पादपों के तनों में विभिन्नता, संवहनी पादपों की बाहरी तथा भीतरी आकारिकी ।

3. जीवन वृत, नीचे दिए गए पादपों में कम से कम एक प्रकार के पादप का अध्ययन––जीवाणु, साइनाफाइसी, क्लारोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, फाइकोम्फीइट्स, एसकोमीसाइट्स, बेसीडाइया, मीसाइट्स लिवरवोर्ट्स, काइयां, टेरियोफाइटा, जिमनोस्पर्म और एंजीयोस्पर्म ।

4. वर्गिकी---वर्गीकरण के सिद्धांत---एंजीओस्पर्म्स के वर्गीकरण के प्रमुख ढंग : निम्नलिखित प्रजातियों के भिन्न-भिन्न लक्षण तथा आर्थिक महत्व---ग्रेमीनिया, साइटेमिनाए, पामेसिआए, लिलीएसाई, आरकोडसीआई, मोरासीआए, लोरान्यामियाए, मगनोलियासिआए, लोराइसी, क्रूसीफरिए, रोसासीएई, लेगूमानासाई, रुटासीज, मैलियासीएई, यूफोर्बियासई, एनाकार्डिएसाई, मालवासेएई, अपोसीनेसेई, एसलपीसेई, स्क्रोफुलारियेसेई, गिरटेसेई, अम्बलीफरेला विएटई, सोलेनाइसी, रूबियासियाई, कुकरबाईटेसाई, वरवेनासेई और कम्पोजिटाई ।

5. पादप---शरीर---क्रिया---विज्ञान :---स्वपोषण, परपोषण जल तथा पोषकों को भीतर लेना, वाष्पोत्सर्जन, फोटोसिन्थेसिस, खनिजपोषण, श्वसन, वृद्धि, पुनर्जन्म, पादप/पशु संबंध, सिम्बलोसिस, परजीविता, एन्जाइम, आक्सीन्स, हार्मोंस, फोटोपेरियोडिज्म ।

6. पादप रोगविज्ञान :––पादप रोगों के कारण तथा उपचार, रोगी अंग, वाइरस हीनताजन्यरोग, रोग से बचाव ।

7. पादप परिस्थिति विज्ञान :––भारतीय पेड़-पौधों तथा भारतीय वनस्पति क्षेत्रों के विशेष सन्दर्भ में परिस्थिति तथा पादप भूगोल से सम्बद्ध बुनियादी सिद्धांत ।

8. सामान्य जीव विज्ञान:––कोशिकाविज्ञान, आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, मन्डलिज्म, संकर ओज, उत्परिवर्तन विकास ।

9. आर्थिक वनस्पति विज्ञान :––मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों विशेषकर पुष्प पादपों के आर्थिक प्रयोग, जो विशेषतया इन वनस्पति उत्पादों के सन्दर्भ में हों खाद्यान्न, दालें, फल, चीनी, तथा स्टार्च, तिलहन, मसाले, पेय, तन्तु, लकड़ी, रबड़ की दवाइयां और आवश्यक तेल ।

10. वनस्पति विज्ञान का इतिहास :––वनस्पति विज्ञान से संबंधित ज्ञान के विकास की जानकारी ।

रसायन विज्ञान (कोड 03)

1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान

तत्वों का इलेक्ट्रोनिक विन्यास, आफ-बाउ सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण । परमाणु क्रमांक । संक्रमण तत्व और उनके लक्षण में परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव। इलैक्ट्रान बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता ।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनाभिकता। नाभिकीय विखण्डन और संलयन।

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्मा और पाई बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसंयोजी आबन्ध की संकरण और दिशिक प्रकृति ।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धांत, उभयनिष्ठ धातु कर्मीय तथा विश्लषय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों का इलैक्ट्रानिक विन्यास ।

आक्सीकरण स्थितियां और आक्सीकरण संख्या । सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक । आयनिक समीकरण । ल्यूइस और ब्रूमटेड के अम्ल और क्षार सिद्धांत ।

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो । निष्कर्षण के सिद्धांत महत्वपूर्ण तत्वों का वियोजन (और धातुकी) ।

हाइड्रोजन परआक्साइड की संरचना डाईबोरेन, एलूमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीरेसिड ।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन ।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धांत ।

सोडियम, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेंट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की रूपरेखा ।

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान

सहसंयोजी आवंधन की आधुनिक संकल्पनाएं, इलेक्ट्रान विस्थापनप्रेरणिक गैसांभरी और अति सयुग्मन प्रभाव। अनुनाद और कार्बनिक रसायन में उसका अनुप्रयोग । वियोजन स्थिराक (डिसी-सिएशन कांस्टेंट) पर संरचना का प्रभाव ।

एल्केन, एल्कीन और एल्काइन । कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पैट्रोलियम । एलिफटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न । एल्कोहल, एल्डीहाइड्स, कीटोन, अम्ल, हैलाइट एस्टर्स, ईथर, अम्ल एनाड्राइड क्लोराइड और अभिड । एक्षारकीय हाइड्रोक्सी कीटनी और एमीनो अम्ल । कार्बधात्विक मिश्रण और एसीटीएसीटिक एस्टर । टार्टरिक सिट्रिक, मैलइक और फ्यूमैरिक अम्ल । कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया । ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शर्करा ।

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय और ज्यामितीय समावयता । संरूपण की संकल्पना ।

बेन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन्न टालूईन जाइलीन फीनाल हैलाइट नाइट्रो और एमीनो मिश्रण । बेन्जोइक सैलिसिक सिनेमिक मैंडेलिक और सल्फोनिक अम्ल । एरोमैटिक एल्डिहाइड और कीटोन । डाइएजो, एजो और हाइड्रेजो मिश्रण । एरोमैटिक प्रतिस्थापन । नैपथलीन पिरिडीन और क्यूनोलिन ।

3. भौतिक रसायन

गैसों और गैस नियमों का गतिक सिद्धात । मैक्सवेल का वेग वितरण नियम । वान डेवाल का समीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम । गैसो का द्रावण । गैसों की विशेष ऊष्मा । सी. पी./सी. वी. का अनुपात ।

ऊष्मा गति की :

ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समतापी और रुद्धोष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा । ऊष्मा धारित । ऊष्मरसायन—अभिक्रिया ऊष्मा विरचन, विलयन और दहन । आवंध ऊर्जा की गणना । किरसोफ समीकरण ।

स्वत: प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड । ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम । एन्ट्रापी । मुक्त ऊर्जा । रसायनिक सन्तुलन का मानदण्ड ।

घोल पारासरण दाव वाष्प नाव को कम करना । वाष्पहिमांक अवनयन क्वथनांक बढ़ाना । घोल में अणुभार निश्चित करना ।

विलेयों का संगुणन और वियोजन ।

रासायनिक संतुलन । द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा विषमांगी संतुलन । ला-शात लिए नियम । रासायनिक संतुलन पर ताप का प्रभाव ।

विद्युत् रसायन : फैराडे विद्युत अपघटन नियम; विद्युत अपघटन की चालकता; तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परिवर्तन; अल्प विलेय लवणों की विलेयता; विद्युत् अपघटनी वियोजन । ओस्टवाल्ड तनुता नियम, प्रबल विद्युत् अपघटकों की असंगति, विलेयता गुणनफल, अम्लों और क्षारकों की प्रबलता, लवणों का जल अपघटन; हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता, उभय प्रतिरोधन क्रिया (बफर क्रिया) सूचक सिद्धांत ।

उत्क्रमणीय सेल । मानक हाइड्रोजन और कैलोमेल इलेक्ट्रोड और रेडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी. एच. का निर्धारण । अभिगमनांक पानी का आयनी गुणनफल । विभव मूलक अनुमापन ।

रसायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि । प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया । तापमान अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया । ताप्मान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अपशान्तिकता तापांक और संक्रियण ऊर्जा । अभिक्रिया दरों का संघट्ट सिध्दांत । संक्रियित संकुल सिध्दांत ।

प्रावस्था नियम : इसकी शब्दावलियों की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग । वितरण नियम ।

कोलाइड : कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण, कोलाइड के विरचन और गुणों की सामान्य रीति। स्कन्दन । रक्षक क्रिया और स्वर्णांक । अधिशोषण ।

उत्प्रेरण : समांग और विषमांग उत्प्रेरण, विषाक्तन बर्धक ।

प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम । सरल संख्यात्मक ।

सिविल इंजीनियरी (कोड 04)

1. भवन निर्माण कार्य सामग्री तथा उस सामग्री के गुण तथा सामर्थ्य :

भवन निर्माण कार्य सामग्री—इमारती लकड़ी, पत्थर, ईंट, चूना टाइल, सेन्ड, सुरखी, मोर्टार तथा कंक्रीट, धातु तथा कांच इंजीनियरी प्रैक्टिस में प्रयुक्त होने वाली धातुओं और आयस्कों के गुण ।

स्ट्रेस तथा स्ट्रेन—हुक का सिध्दांत—बैंडिंग । टारशन तथा डाइरेक्ट स्ट्रेस, शहतीरों के मुड़ने का इलास्टिक सिध्दात, केन्द्रीय रूप से बोझा पड़ने के कारण अधिकतम और न्यूनतम दबाव । बैंडिंग मूमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम तथा स्थिर और चलायमान दबाव के अधीन शहतीरों का विक्षेप ।

2. भवन निर्माण, जल प्रदाय और सफाई से सम्बन्धित इंजीनियरी :

निर्माण—ईंट तथा पत्थर की चिनाई—दिवार, फर्श तथा छत, जीने, लकड़ी के दरवाजों पर नक्काशी, छतों, दरवाजे, खिड़कियां तैयार करना । प्लास्टर, प्वाइंटिंग, पेन्ट तथा वारनिश आदि से संबंधित अंतिम कार्य ।

मृदा यांत्रिकी (सोइल मैकेनिक्स) मृदा और उससे संबंधित खोज, भारवाहन क्षमता और भवनों तथा निर्माण की बुनियादी डिजाइन बनाने के सिध्दांत ।

भवन निर्माण संबंधी अनुमान तैयार करना---नाप की सिध्दांत इकाईया, भवनों के लिए उनकी मात्रा निर्धारित करना तथा होने वाले व्यय तथा महत्वपूर्ण मदों के विवरण तैयार करना ।

जल प्रदाय---पानी के स्त्रोत विशुद्धता के मानक, शुद्ध करने की प्रणालियां, जल प्रदाय के ढंग, पम्प तथा बूस्टर आदि की रूप रेखा तैयार करना ।

सफाई---गंदी नालियां, तूफान से बढ़े हुए पानी के लिए और मकानों के लिए अपेक्षित, नालियों की आवश्यकताए जांचना, सैप्टिक टैंक, इम्होफ टैंक, कचरे को रखने के लिए साइया तैयार करना---एक्टीवेटेड स्लाज पद्धति ।

3. सड़क तथा पुल :

सर्वेक्षण तथा संरक्षण (अलाइनमेंट)---राजमार्ग के लिए अपेक्षित सामग्री तथा उनके विनियोग, डिजाइन के सिध्दात, नींव तथा पटरियो का चौड़ाई, कम्बर, ग्रेडिएन्ट माड और सुपर एलिवेशन, रिटेनिंग वाल्स ।

निर्माण---कच्ची सड़कें, स्थिर तथा पानी के बने हुए मेकडम सडकें, विटुमिन्स, तलीवाली तथा कंक्रीट सडकें, सडको पर नालियां, पुल---उनके प्रकार, इकोनिमिकल स्पेन, आई. आर. सी. लोडिंग, छोटे पुलों के ऊपरी ढांचों के डिजाइन बनाने, पुलों के पाया तथा पायर, पायर तथा कूए की नींव के डिजाइन तैयार करने के सिद्धांत तैयार करना ।

सड़कों और चहल के लिए मिट्टी के काम का प्राक्कलन ।

4. संरचना इंजीनियरी :

इस्पात के ढांचे---अनुमत ढांचे, साधारण शहतीरें तथा तैयार किए गए स्तंभ और साधारणत छत के ट्रस और गार्डरों के डिजाईन तैयार करना, स्तम्भों के आधार तथा चारो ओर से बीच दबाव पड़ने वाले स्तभो के लिए ढांचे बनाना---चटकनी लगे, रिफ्ट लगे हुए और बेल्ड किए हुए जोड़ ।

आर. सी. सी. स्ट्रक्चर (ढांचे)---प्रयुक्त सीमान का विवरण---अपेक्षित मजबूती और उसके हिसाब से उनके प्रयोग आबंटन करना । डिजाईन लोड्स के लिए भारतीय मानक संस्थान के मानक/आर. सी. सी. के पदार्थों में अनुमत स्ट्रेस जाड, सीधी बैंडिंग स्ट्रोस के अनुसार हो । साधारणत रूप से सहारे से साथ लटकते हुए कैन्टीलीवरलट्टे, चौकोर तथा टी. शक्ल के लट्टे जो फर्शों, छतो और लिंटल में प्रयुक्त होते हो---चारो ओर से दबाव सहारने वाले स्तंभ तथा उन के आधार ।

भू-विज्ञान : (कोड 05)

1. सामान्य भू-विज्ञान :

पृथ्वी की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भू.-वैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन (रोजन) पर उनका प्रभाव, मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू-आकृति उप-भाग, वनस्पति और स्थलाकृति ज्वाला मुखी, भूकम्प पटल विरूपण ।

2. संरचनात्मक भू-विज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कार्यरित चट्टानें, नति, नतिलब और ढलान बलन, भ्रंश और विषम विन्यास और दृश्यांशों पर उनका प्रभाव, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियो के संबंध में प्रारम्भिक जानकारी ।

3. क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :

क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी । क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग) । मृण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शैल रचना, रासायनिक संघटन, भौतिक गुण, प्रकाशिक गुण धर्म परिवर्तन और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन ।

4. आर्थिक भू-विज्ञान :

भारत के महत्वपूर्ण खनिजो और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन । अयस्क निक्षपो का उद्भव और वर्गीकरण ।

5. शैल विज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानो तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक ज्ञान । चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन ।

6. स्तर क्रम विज्ञान :

स्तर क्रम विज्ञान के नियम; भू-विज्ञान अभिलेखों का अक्रम, वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप-विभाजन । भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताए ।

7. जावाश्म विज्ञान

जीवाश्म विज्ञान संबंधी आधार सामग्री का विकास से संबंध। जीवाश्मी (फासिस) उसका स्वरूप और उनके परिरक्षण की विधि । प्राणि जीवाश्मों और पादप जीवाश्मों की निरूपण आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी ।

कृषि इंजीनियरी (कोड-06)

1. मृदा तथा जल संरक्षण : मृदा सरक्षण की व्याख्या तथा उसका क्षेत्र, भूरक्षण के प्रकार तथा जल विज्ञान, उनके कारण जल विज्ञान संबंधी चक्र, वर्षा तथा जलवाह उनपर प्रभाव डालने वाले तत्व तथा उनके आकार; स्ट्रीम गार्जिंग, वर्षा के जलवाह का मूल्यांकन, भूरक्षण पर नियत्रण के उपाय, जैविक तथा इंजीनियरी ।

मूलभूत खुले हुए जलमार्गों को बनाना । मृदा संरक्षण सम्बन्धी ढांचों, टेरेस बाध, नालियों तथा घास उगाते हुए पानी के निकास के भागों का डिजाईन बनाना, बाढ़ नियंत्रण के सिद्धांत । बाढ़ के पानी की निकासी के लिए मार्ग बनाना, फार्म के लिए तालाब तथा मिट्टी के बांध तैयार करना, नदी के किनारों पर भूरक्षण तथा उसका नियंत्रण, वायुजनिता भूरक्षण तथा उस पर नियंत्रण । जल संवरण की देखभाल के सिद्धांत ।

नदी घाटी परियोजनाओ से सम्बन्धित जांच तथा योजनाओं को तैयार करना ।

2. सिंचाई तथा ड्रेनज :

मृदा जल पौधों के पारस्परिक संबध, सिंचाई के स्त्रोत तथा प्रकार । लघु सिंचाई परियोजनाओं की योजना तथा डिजाईन तैयार करना, मिट्टी की नमी का पता लगाने की तकनीक ।

जल के उपयोग । फसलो के लिए जल की आवश्यकता । सिंचाई का परिमापन तथा उसका व्यय । रंध्रों, नालों तथा नालियों द्वारा जल प्रभाव नापने की प्रणाली । सिंचाई प्रणालियों की रूप रेखाएं बनाना । नहरों, क्षेत्रों की नालियों, पाइप लाइनों, हेड ग्रेट्स, डाइवर्जन वाक्स स्ट्रक्चर तथा रोड क्रासिंग के डिजाइन बनाना तथा उनका निर्माण करना । भू-जल प्राप्ति। कुओं की द्रव इंजीनियरी, कुओ के प्रकार, उनके

निर्माण तथा उनकी खुदाई की प्रणाली, कुओं के विकास । कुओं को टेस्ट करना ।

ड्रेनेज---परिभाषा---जलाक्रांत के कारण । ड्रेनेज के ढंग । सिंचाई की जाने वाली भूमि में नालियों को बनाना । जल तथा भूमि से नीचे नालियां बनाने के डिजाइन तैयार करना ।

3. निर्माण सामग्री---निर्माण सामग्री के प्रकार---उनके गुण धर्म :

टिम्बर, ब्रिक वर्क्स तथा आर. सी. कंस्ट्रक्शन, शहतीरों, छतों के जोड़ तथा स्तम्भों के डिजाइन तैयार करना । फार्म स्टेड की योजना बनाना, फार्म हाउसज, पशुशाला तथा भंडार के लिए ढांचों का डिजाइन बनाना । ग्रामीण जल प्रदाय तथा सफाई की व्यवस्था ।

4. फार्म विद्युत तथा मशीनरी :

भिन्न-भिन्न प्रकार के आंतरिक दहन इंजिन लगाना । आंतरिक दहन इंजिनों का वातानुकूलन तथा नियंत्रण तथा उनमें तेल डालना और उनके लिए दहन की सामग्री उपलब्ध करना । ट्रैक्टरों के चेसिस, ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग के भिन्न भिन्न प्रकार । प्रारंभिक तथा माध्यमिक जुताई के लिए कृषि की मशीनरी, बजने की मशीनरी, गड़ाई के औजार आदि । पौधों के संरक्षण का सामान । फसलों की कटाई अनाज गाहने के औजार भूमि विकास के लिए मशीनरी पम्प मशीनरी ।

5. बिजली तथा ग्रामों में बिजली उपलब्ध करना :

बिजली तैयार करना तथा उसका वितरण, ए. सी. तथा डी. सी. सर्किट ।

फार्मों में बिजली ऊर्जा के उपयोग । कृषि में प्रयोग होने वाले बिजली के मोटर, उनके प्रकार संबंधी चयन, उन्हें लगाना तथा उनकी देख रेख ।

रसायन इंजीनियरी : (कोड--07)

1. परिवहन की घटनाएं (स्थिर स्थिति के अधीन) :

(क) मोमेन्टम ट्रांसफर ।

(i) बहाव के विभिन्न ढंग तथा उनके मापदंड ।

(ii) वैलोसिटी प्रोफाइल ।

(iii) फिल्ट्रेशन, सेडीमेंटेशन, संट्रीफयूज ।

(iv) तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों का बहाव ।

(ख) ऊष्मा स्थानान्तरण : ऊष्मा स्थानान्तरण के विभिन्न डाइमेंशन ढंग : चपेट, बेलनाकार, वर्गाकार, एकमार्ग तथा मिश्रित शीर्षों, की तहों के लिए गति मापना ।

कन्वेक्शन---फोर्स्ड और फ्री कन्वेक्शन में प्रयुक्त विभिन्न डाइमेंशन रहित ग्रुप ।

अलग तथा पूर्ण रूप से स्थानांतरण का रूप निर्धारित करना। वाष्पीकरण---विकीकरण---स्टेफन, बोल्टजमैन का नियम---

एमिसिविटी तथा एवजोर्पिटीविटी । शेप फैक्टर भट्टियों में ऊष्मा के दबाव का हिसाब लगाना ।

(ग) संहित स्थानान्तरण . गैसों तथा तरल पदार्थों विसरण। एबजोर्पशन, डियोपर्शन ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, ड्राईंग तथा डिस्टिलेशन । मोमेंटम हीट तथा माप और ट्रांसफर के भेद ।

2. ऊष्मा/गतिकी :

(क) ऊष्मा गतिकी के प्रथम और तृतीय नियम ।

(ख) इन्टरनल एनर्जी, एन्ट्राफी, एन्थालफी और स्वतंत्र ऊर्जा निर्धारण । सजातीय तथा विजातीय सिद्धांतों के लिये कैमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्धारित करना । डिस्टिलेशन तथा उसकी स्थानानतरण में ऊष्मा गतिकी का उपयोग तरल पदार्थों---ठोस और तरल पदार्थों तथा ठोस पदार्थों के मिश्रण के सिद्धांत तथा मेकेनिज्म ।

3. प्रतिक्रिया इंजीनियरी :

(1) बलगतिकी : सजातीय और विजातीय प्रतिक्रियाएं, प्रथम और द्वितीय प्रकार की प्रतिक्रियाएं, बेच तथा फिलो-रिएक्टर तथा उनके डिजाइन ।

(2) कैटलेसिस---कैटलेसिस का चुनाव तैयारी ।

मेकेनिज्म पर आधारित कैटलेसिस का मिकेनिक रूप ।

4. ट्रांसपोर्टेशन :

सामग्री, विशेषत : पाउडरों, रबिज, उड़ जाने वाले तथा न उड़ने वाले पदार्थ, एमल्शन और डिसपर्शन, पंपों, कम्प्रेसरों तथा ब्लोअर्स एकत्रित करना तथा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ।

मिक्स्चर मिलाने का सिद्धांत तथा प्रक्रिया ।

5. सामग्री :

वे मामले जिनसे रासायनिक उद्योग में निर्माण की सामग्री का चुनाव किया जाता है । धातु और एलाए, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक तथा रबर इमारती लकड़ी तथा उससे बनी चीजों, प्लाईवुड लेमिनेट ।

बाट और बैरल फिलटर प्रेसेज आदि के निर्माण के लिए उपस्कर तैयार करना ।

6. यंत्रीकरण तथा प्राक्रिया नियंत्रण :

यांत्रिक हाइड्रोलिक न्यूमैटिक, थरमल, आप्टिकल, गनेटिक, इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्टानिक औजार नियंत्रण तथा नियंत्रण के ढंग आटोमेशन ।

गणित (कोड-09)

भाग--'क'

बीज गणित : समुच्चय (सैट्स)---बीज गणित, सम्बन्ध तथा फलन (फंक्शन) फलन का प्रतिलोम, मिश्रित फलन, तुल्यता संबंध ।

संख्या : पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या (गुणधर्मों के विवरण) सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्रण संख्याओं का बीजगणित ।

समूह : उप समूह, प्रसामान्य उप समूह, चक्रीय तथा क्रमचय समूह, लागरेंजकी प्रमेय, आइसोमोर्फिज्म ।

परिमेय, इन्डेक्स की डी-मोइवरस प्रमेय तथा इसके साधारण प्रयोग ।

समीकरण के सिद्धांत--- बहुपदीय समीकरण, समीकरणों का रूपांतरण, बहुपदीय समीकरणों के मूलों तथा गुणांकों के बीच संबंध, त्रिघात तथा चतुर्घात समीकरणों के मूल का सममिति फलन, मूलों का स्थान निर्धारण तथा मूल निकालने का न्यूटन का सिद्धांत ।

आब्यूह, (मेट्रीसेज) : आब्यूहों---सारणिकों, का बीजगणित, सारणिकों का साधारण गुण धर्म, सारणिकों, का गुणनफल, सहो, संडज आब्यूह, आब्यूहों का प्रतिलोमन, आब्यूहों की जाति, रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिये आब्यूहों का प्रयोग (तीन अज्ञात संख्याओं में) ।

असमताएं : गणित तथा ज्यामितीय माध्य, कोशी, श्वार्ज, असमता (केवल परिमित संख्याओं के लिये) ।

द्वीविम और त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति :

द्वीविम की विश्लेषिक ज्यामिति---सीधी रेखाएं, युगल सरल रेखाएं, वृत्त, निकाय, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय (मुख्याक्ष के नाम से निर्दिष्ट) । द्वीतीय अंश के समीकरण का मानक रूप तक लघु करण । त्रिज्याएं तथा अभिलम्ब ।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति---

समतल सीधी रेखाएं तथा गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक) कलन और विभिन्न समीकरण ।

कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित---सीमांत की संकल्पना, वास्तविक चर फलन का सांतत्य और अवकलनीयता, मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन । रोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेय, मैकलारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग; परिमेय भूचकांकों के लिये द्विपदप्रसारण, चरघातांकी प्रसरण, लघुगणकीय त्रिकोणमितीय और अति परवलयिक फलन । अनिर्धारित रूप, एकल चर फलन का उच्चिष्ठ और अल्पिष्ठ, स्पर्श रेखा, अभिलम्ब, अधः-स्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी वक्रता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । एनवेलप आंशिक अवकलन । सामांगी फलनों से संबंधित आयलर प्रमेय ।

समाकलन---गणित इंटीग्रल (कैलकुलस) :

समाकलन की मानक प्रणाली, सतत फलन के निश्चित समाकलन की रीमान परिभाषा । समाकलन गणित के मूल सिद्धांत परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिक्रमण घनाकृति का पृष्ठीय का क्षेत्रफल । संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्पसन का नियम ।

अनुक्रम और सिरीज का अभिसरण, वर्ग संख्याओं के साथ सीरीज अभिसरण का परीक्षण । अनुपात, मूल और गौस परीक्षण । एकांतर श्रेणी ।

अवकल समीकरण---प्रथम कोटी के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना । नियत गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना । वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग । सरल आवर्त गीत, सरल लोलक तथा उसके समदिशा ।

भाग 'ख'

यांत्रिकी (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)

स्थिति विज्ञान---बल का निरूपण, बल समान्तर चतुर्भुज, बल, संयोजन और बल वियोजन और समतलीय तथा समांगी बलों की साम्यावस्था की स्थिति । बल त्रिभुज । जातीय और विजातीय सामन्तर-बल । अरधूर्ण । बल युग्म । समतलीय, बलों की साम्यावस्था की सामान्य स्थिति । साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र । स्थैतिक घर्षण । साम्य घर्षण और सीमान्त घर्षण । घर्षण कोण । रूक्ष आनत समतल पर के कर्ण की साम्यावस्था । सरल मिनेय। साधारण मशीन (उत्तोलक विंचनी की निर्देश पद्धति, गियर) । कल्पित कार्य (दो आयामों में) ।

गति विज्ञान---शुद्ध गति विज्ञान—कण का त्वरण, वेग चाल और विस्थापन, आपेक्षिक वेग । निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा गति ।

न्यूटन के गति संबंधि सिद्धांत । सकेन्द्र कक्षा । सरल प्रसंदा गति। (निर्वात में) गुरुत्वावस्था में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा । रैखिक संवेग और ऊर्जा का संरक्षण । एक समान वर्तुल गति ।

खगोल विज्ञान :

गोलीय त्रिकोण मिति---ज्या एवं कोटिज्या फार्मूला । समकोण युक्त गोलीय त्रिकोणों के गुण ।

गोलीय खगोल विज्ञान---खगोलीय गोलक, समन्वित प्रणाली और उसका रूपान्तरण। दैनिक गति नक्षत्र समय, सौर समय माध्य सौर समय, स्थानीय और मानक समय, समय समीकार। सूर्य और नक्षत्रों का उदय और अस्त, क्षितिज गति । खगोलीय अपवर्तन । सांध्य प्रकाश, लंबन, अपेरण, पुरस्सरण और विदोलन । केपलर के नियम । ग्रह कक्षा और स्तब्ध बिन्दु । चन्द्रमा की दृष्टि गति, चन्द्रमा की प्रावस्थाएं। खगोलीय यंत्र---मक्सटन प्रेषण यंत्र ।

सांख्यिकी :

प्रायिकता---प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गुणन सिद्धांत, सप्रतिबंध प्रायिकता । यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत), घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा ।

मानक वितरण---द्विपद-परिभाषा, माध्य और प्रसरण वैषम्य सीमान्त रूप, सरल अनुप्रयोग । प्वासो---परिभाषा—माध्यम और प्रसरण, योग्यता उपलब्ध आंकड़ों में प्वासो बंटन का समंजन । सामान्य---सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य बंटन का समंजन ।

द्विचर वितरण---सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधी रेखा का समंजन, परवलयिक और चल घातांकी, वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुणक ।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण:

यादृच्छिक प्रतिदर्श । सांख्यिकी । प्रतिदर्शी बंटन और मानक त्रुटि मध्यपदों के अन्तर की अर्थ वत्ता के परीक्षा में प्रसामान्य टी. सी. एच. आई. $(Chi)^2$ और एफ. का सरल वितरण ।

नोट:---

उम्मीदवारों को पाठ्य विवरण के भाग "क" में से तीन विषयों में से नामत: (1) बीज गणित (2) द्विविम और त्रिविम विश्लेषिक ज्यामिति तथा (3) कलन (कैलकुलस) और विभिन्न समीकरण प्रत्येक पर, एक-एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा । पाठ्यविवरण के भाग 'ख' में से तीन विषयों में से नामत: (1) यांत्रिकी, (2) खगोल विज्ञान और (3) सांख्यिकी, किसी एक पर कम से कम प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा ।

मिकेनिकल इंजीनियरी : (कोड---10)

1. पदार्थों की शक्ति:

स्ट्रेसेज तथा स्ट्रेन---हुकक । नियम तथा इलास्टिक कांस्टेंटस के बीच के संबंध---टेंशन व कम्प्रेशन बार्ज तथा तापमान में परिवर्तन के कारण हुए स्ट्रेसेज ।

साधारण लदान के लिये साधारण सहारों के साथ लटकते हुए और कैन्टीलिवर बीम्स में बंकन आघूर्ण, अपरूपक बल और विक्षपण ।

राउंड बार्ज में टार्शन---

शैफ्टस द्वारा बिजली पारेषण---स्प्रिंग्स ।

सम्मिलित बंकन और सीधे प्रतिबल तथा सम्मिलित व टार्शन के सामान्य मामले ।

फैल्योर की इलास्टिक थ्योरी---स्ट्रैस कन्सेन्ट्रेशन तथा फैटीग।

मशीनों और मशीन डिजाइनों का सिद्धांत :

मशीनों में पूर्जों का सापेक्ष वेलोसिटी ग्राफ तथा गणना करके दिखाना ।

इंजनों के क्रेंक एफर्ट डायग्राम---फ्लाई व्हील्स की गति विविधता । गवर्नर्स । बेल्ट ड्राइव द्वारा पारेषित बिजली जनरल तथा थ्रस्ट बियरिंग बाल तथा रोलर बियरिंग की फ्रिक्शन तथा लुब्रिकेशन । फास्निंग और लाकिंग डिवाइस के डिजाइन बनाना---रिवट लगाए हुए बोल्ट और वेल्ड किए हुए जोड़ों और फासनिंग के लिये मात्राएं ।

3. प्रयुक्त ऊष्मा गतिकी :

ईंधन दहन---वायु पूर्ति---ईंधन तथा निष्कास गैस का विश्लेषण ।

ब्यायलर्स, सुपर हीटर्स तथा इकोनोमाइजर्स---ब्वायर ट्रायल ।

वाष्प के भौतिक गुण धर्म---

वाष्प सारणियां और उनके उपयोग ।

ऊष्मा गतिकी के नियम---गैस नियम---गैसों का विस्तार तथा संपीडन वायु सम्पीडक ।

आदर्श और वास्तविक इंजन क्रम ।

तापमान का उपयोग---एन्ट्रापी, ताप---एन्ट्रापी तथा प्रेशर वाल्यूम चार्ट और डायग्राम ।

साधारण वाष्प इंजन और आंतरिक्त दहन वाले इंजन ।

सूचक और सूचक डायग्राम - यान्त्रिक । तापीय, वायु मानक और वास्तविक दक्षताएं-सामान्य निर्माण-इंजन ट्रायल और ताप संतुलन

4. प्रोडक्शन इंजीनियरी :

आम मशीन औजार---लैथ, शेपर्स, प्लेनर, ड्रिलिंग मशीनों के प्रचालन सिद्धांत---मिलिंग मशीनें ग्राइन्डिंग मशीनें---जिग तथा फिक्सचर । धातु काटने वाले औजार---औजार सामग्री---आधार ज्यामिती ।

कटिंग फार्मर्स---अप धर्षी व्हील्स ।

वेल्डिंग---संधानीयता और विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाएं---वेल्डों का टेस्ट करना ।

फार्मिंग प्रासेस---धातुओं का मोल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, रोलिंग तथा ड्राइंग ।

मापिकी---लाइनियर तथा एंगुलर परिमाप---सीमाएं तथा आक्षेप । स्क्रू और गियर का परिमाप---सर्फेस फिनिश---प्रकाशकीय यंत्र ।

औद्योगिक इंजीनियरी---प्रणाली अध्ययन और कार्य मापन---गति समय संबंधी तथ्य कार्य नमूना---कार्य मूल्यांकन, मजदूरी और प्रोत्साहन आयोजन, नियंत्रण, संयंत्र की रूपरेखा ।

5. तरल यांत्रिकी और पन बिजली :

बरनौली का समीकरण---मूविंग प्लेट तथा वेन्स---पम्प और टरबाइन । अभिकल्पन नियम प्रयोग और विशिष्ट वक्र समानता के सिद्धांत, गवर्निंग जलीय संचायक और तीव्रक क्रेन और लिफ्ट सर्ज टैंक और रिजर्वाय ।

भौतिकी. (कोड 11)

पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी :

यूनिटें और विमाएं, स्केलर और वेक्टर मात्राएं जड़त्व आघूर्ण कार्य ऊर्जा और संवेग/यांत्रिकी के मूल नियम, घूर्णी, गति, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, कैटर लोलक, प्रत्यास्थता---पृष्ठ तनाव, द्रव की श्यनता, रोटरी पम्प, मेकलियाड गैज ।

2. ध्वनि :

अवमर्दित, प्रणोदित और मुक्त कम्पन, तरंग गति, डाप्लर, प्रभाव ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान, आर्द्रता का प्रभाव, , डोरियों, छड़ों, प्लेटों, और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद विस्पंद, स्थिर तरंग, ध्वनि का आवत्ति वेग तथा तीव्रता, स्वर ग्राम, स्थापत्यकला में ध्वनिकता, पराश्रव्य के मूल तत्व, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकरों के प्रारंभिक सिद्धांत ।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान

तापमान और उसका मापन; तापीय प्रसार; गैसों में समतापी तथा रुद्धोष्म (एडियावेटिक) परिवर्तन/विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता, द्रव्य के अणुगति सिद्धांत के तत्व बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध; बांडर बाल का अवस्था समीकरण; जूल थाम्पसन प्रभाव; गैसों का द्रवण ऊष्मा इंजन; कानों प्रमेय, ऊष्मा गति विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग, कृष्णिका विकिरण ।

4. प्रकाश :

ज्यामितीय प्रकाशकी, प्रकाश का वेग समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाशकीय प्रतिबिंबों में दोष और उनका निवारण; नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र का तरंग सिद्धांत; व्यातिकरण, सरल व्यातीकरण मापी विवर्तन ग्रेटिंग प्रकाश का ध्रुवण; स्पेक्ट्रस विज्ञान के तत्व ।

5. विद्युत और चुम्बकत्व :

सरल मामलों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव का परिकलन, गाउस प्रमेय और उसके सरल अनुप्रयोग; विद्युत मापी, विद्युत---क्षेत्र के कारण ऊर्जा द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत धारा से उत्पन्न

चुम्बकीय क्षेत्र मूविंग मैग्नेट एण्ड मूविंग क्वायल गैल्वेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन, रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के गुण धर्म और उनका निर्धारण; ताप विद्युत प्रभाव; विद्युत चुम्बकीय प्रेरण; प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन, ट्रांसफार्मर और मोटर । इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग ।

बोर के परमाणु सिद्धांत के तत्व इलैक्ट्रान्स; कैथोड-रे और एक्स-रे इलैक्ट्रानिक चार्ज और द्रव्यमान का मापन ।

प्राणि विज्ञान : (कोड 13)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लक्षण ।

रज्जू रहित (नान-काडेंट) किस्म के प्राणियों की बनावट, आदतें और जीवन-वृत्त ।

अमीबा, मलेरिया-पर जीवी । स्पंज, लिवरफ्लूक, फीता कृमि; गोल कृमि, केंचुआ; जोंक, तिल चट्टा; गृह मक्खी, मच्छर, बिच्छू ताजे पानी का मस्ल, नाल घोंघा, टार फिश (केवल ब्राह्य लक्षण) ।

कीटों का आर्थिक महत्व । निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन वृत्त :—

दीमक, टिड्डी, शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा ।

रज्जू की—कम वर्गीकरण ।

निम्नलिखित प्रकार के रज्जूमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर :—

बृकिगोस्टोमा; स्कलिओडान; मेंढ़क, यूरोमेस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (वरनस का अस्थिपंजर); कबूतर (कुक्कुट का अस्थिपंजर); और खरगोश, चूहा गिलहरी ।

मेंढ़क और खरगोश के संदर्भ में जन्तुकाय के विभिन्न अंगों के ऊतक विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक जानकारी; अन्तःस्त्रावी ग्रंथियां और उनका कार्य ।

मेंढ़क और चूजे के विकास की रूप रेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य ।

विकास के सामान्य नियम; विविधता, आनुवंशिकता; अनुकूलन के पुनरावर्तन परिकल्पना ; मेंडेलीय आनुवंशिकता अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां, अनिषेक जनन (पार्थेनोजेनेसिस); कार्यांतरण; पीढ़ी एकांतरण ।

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ में जन्तुओं का परिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण ।

भारत के अन्य प्राणी जिसमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं; शिकार पक्षी ।

भाग 'ख'

व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का समीचीन जीवन वृत्त होगा । साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी की वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों अपितु उन घटनाओं में भी रुची लेते हों जो उनके चारों और अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है ।

2. साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं है अपितु स्वाभाविक निर्देशन और प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना हो, बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहण-शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक तत्परता सामाजिक संगठन की योग्यता चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा ।

परिशिष्ट-II

(देखिए नियम 19)

भारतीय वन सेवा संबंधी संक्षिप्त ब्यौरे (देखिए 19)—

(क) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और इसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को, जितना उचित हो, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर खंड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) भारतीय वन सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है ।

(च) वेतनमान:

कनिष्ठ वेतनमान	रु. 700-40-900 द.रो. 40-1100-50-1300 (15 वर्ष)
वरिष्ठ वेतनमान:	
(क) समय वेतनमान	रु. 1100 (छठे वर्ष या उससे पहले) -50-1600 । (16 वर्ष) ।
(ख) चयन ग्रेड	रु. 1650-75-1800
वनसंरक्षक	रु. 1800-100-2000
उप-मुख्य वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है) ।	रु. 2000-125/2-2250
अपर मुख्य वन संरक्षक (राज्यों में जहां ऐसा पद विद्यमान है) ।	रु. 2250-125/2-2500
मुख्य वन संरक्षक	रु. 2500-125/2-2750

उप वन महानिरीक्षक	रु. 2000-125/2-2250 साथ में रु. 300/-प्र.मा. विशेष वेतन ।
अतिरिक्त वन महानिरीक्षक	रु. 2500-100-3000
वन महानिरीक्षक	रु. 3000-100-3500

समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता मिलेगा ।

परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा वरिष्ठ वेतनमान में प्रारंभ होगी और उसे परीवीक्षा पर बिताई गई अवधि को समय वेतनमान में अवकाश, पेंशन या वेतन वृद्धि के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

(छ) भविष्य निधि—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(ज) अवकाश—भारतीय वन सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(झ) डाक्टरी परिचर्या—भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है ।

(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय वन सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु वन सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 द्वारा शासित होते हैं ।

परिशिष्ट—III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

(देखिए नियम 15)

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं ।

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण हक होगा ।]

1 नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

2 चलने की परीक्षा—पुरुष उम्मीदवारों को चार घंटे में पूर्ण होने वाली 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में पूर्ण होने वाली 14 किलोमीटर चलने की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी वन महानिरीक्षक, भारत सरकार द्वारा इस परीक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के साथ साथ हो सके ।

3. (क) भारतीय (एंग्लो इण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए। और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

(ख) कद और छाती के घेर के लिए कम से कम मानक निम्नलिखित हैं, जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जा सकता :

वय	छाती का घेर (पूरा फैलाव)	फैलाव
17 से० मी०	84 से० मी०	5 से० मी० (पुरुषों के लिए)
150 से० मी०	79 से० मी०	5 से० मी० (महिलाओं के लिए)

अनुसूचित जन जातियों तथा गोरखाओं, नेपालियों, असमियों, मेघालय, जन जातियों, लद्दाखियों, सिक्किमियों, भूटानियों, गढ़वालियों, कुमाऊंनियों, नागाओं तथा अरुणाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के मामले में, जिनका औसत कद विशिष्टतया कम होता है, कद में छूट देने के लिए कम से कम निर्धारित मानक निम्नलिखित हैं :—

पुरुष	152.5 सें.मी.
महिला	145.0 सें.मी.

4. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा—

वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिण्डलियां नितम्ब और कंधे माप दंड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोडी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

5. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है:— उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे और इसका ऊपरी किनारा। असफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटरों से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद्द और छाती दोबारा नापने चाहिए ।

6 उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्राम में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

7 उम्मीदवार की नजर की जाच निम्नलिखित नियमो के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जाच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा ।

(1) सामान्य (जनरल) :—किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मिल्टी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आखो की सामान्य परीक्षा की जाएगी । यदि उम्मीदवार का भेगापन या आखों, पलको अथवा साथ लगती सरचनाओ (कटिगुअस स्ट्रैक्चर्स) का विकास होगा जिसे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की सभावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(2) दृष्टि तीक्षणता (विजुअल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो बार जाच की जाएगी । एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए । प्रत्येक आख की अलग से परीक्षा की जाएगी ।

चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्यक मामले मे मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

चश्म के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा ।

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आख	खराब आख (ठीक की हुई आख)	अच्छी आख	खराब आख (ठीक की हुई आख)
6/6	6/12 जे० I या	जे० II	
6/9	6/9		

नोट —

(1) फडस परीक्षा—मायोपिया फडस के प्रत्येक मामले मे जाच करनी चाहिए और उसके नतीजो को रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक अवस्था हो जिसके बढने और उसमें उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर असर पड़ने की सभावना हो तो उसे अयोग्य घोषित कर देना चाहिए ।

मायोपिया का कुल परिणाम (सिलण्डर सहित)—4 00डी से नहीं बढ़ेगा । हाइपरमेट्रोपिया (सिलेण्डर सहित)+4 00डी से नहीं बढ़ेगा ।

शर्त यह है कि उम्मीदवार भारी निकट दृष्टि के कारण अयोग्य पाया जाय तो यह मामला तीन दृष्टि विशेषज्ञों के विशिष्ट बोर्ड को भेज दिया जायेगा जो यह घोषणा करेंगे कि निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक नहीं हो तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते वह अन्यथा दृष्टि सम्बन्धी अपेक्षायें पूरी करे ।

(2) कलर विजन, (i) रगो के सन्दर्भ में नजर की जाच आवश्यक होगी ।

(ii) नीचे दी हुई तालिका के अनुसार रग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिये जो लैटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो ।

ग्रेड	रग के प्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रेड
1 लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16 फीट
2 द्वारक (एपर्चर) का आकार	1 3 मीटर
3 दिखाने का समय	5 सैकण्ड

(iii) लाल सकेत हरे सकेत और सफेद रग की आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना सन्तोषजनक कलर विजन है । इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हे एडिज ग्रीन की लैटर्न जैसी उपयुक्त लैटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जाच करने के लिये बिल्कुल विश्वसनीय समझा जायेगा । वैसे तो दोनों जाचो में से किसी भी एक जाच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है । लेकिन सडक, रेल और हवाई यातायात से सबधित सेवाओ के लिये लैटर्न से जाच करना लाजमी है । शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जाच करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनो ही तरीको से जाच करनी चाहिये ।

(3) दृष्टि क्षत्र (फील्ड आफ विजन)— सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षत्र की जाच की जायेगी । जब ऐसी जाच का नतीजा असन्तोषजनक या सदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परामापी (पैरा मीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(4) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलो को छोडकर रतौंधी की जाच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतोंधी या अधेरे में दिखाई न देने की जाच करने के लिये कोई नियत स्टैंडर्ड टैस्ट नहीं है । मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिये जैसे रोशनी कम करके या, उम्मीदवार को अन्धेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्षणता रिकार्ड करना । उम्मीदवारो के अपने कथनो पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए ।

(5) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आख की अवस्थायें (आक्युलर कण्डीशन) ।

(क) आख का इस बीमारी का या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की सभावना हो अयोग्यता का कारण समझना चाहिये ।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हो तो ये आमतौर से अयोग्यता का कारण नहीं होगे ।

(ग) भैंगापन—द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है । नियत स्टैंडर्ड की दृष्टि की तीक्षणता होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिये ।

(घ) एक आख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिये एक आख वाले व्यक्तियों की अनुशंसा नहीं की जाती ।

(8) रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में कोई अपना निर्णय से काम लेगा । ... तात्कालिक ... निर्धारित की जाती है ।

(1) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में आमतौर पर ब्लड प्रेशर लगभग 100 ... होता है ।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में ... आयु जोड़ दी जाय। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टोलिक प्रेशर और 90 से ऊपर के डायस्टोलिक प्रेशर के ... चाहिए और उम्मीदवार के ... अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड ... अस्पताल में ... रिपोर्ट में यह ... (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ... थोड़े समय ... है या उसका कारण कोई कार्बनिक (आंगिक) बीमारी है । ऐसे सभी मामलों में हृदय की एक्सरे और ... कार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर ... फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में ... फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :—

निम्नलिखित ... दाबमापी, (मर्करी मैनोमीटर), किस्म का आला इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । ... रोगी के ... से कन्धे तक कपड़ा उतार देना चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए । ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रैकिअल आर्टरी) को दबा दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचो बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है । जो कफ के साथ न लगे कफ में लगभग 200 एम एम एच जी ... भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रम ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर ... टिका होता है वह सिस्टोलिक प्रेशर ... और ... ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी ... जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ती ... लुप्त प्राय: हो जाय यह डायस्टोलिक प्रेशर है । ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए ... समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारक होता है और इससे रीडिंग गलत होती है । यदि दोबारा ... जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । ... कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ... हो जाती हैं निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं । ... से रीडिंग में गलती हो सकती है ।

(9) ... उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा ... और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में ... द्वारा शक्कर का पता चलता है तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्ह और लक्षणों का भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह ... (नान डायबिटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा ... अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और ... रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा । जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार ... बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । ... के प्रभाव ... को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

10. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड ... आरोग्यता का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

11. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का पर्यवेक्षण करना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य किया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध में निम्नलिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है :—

(1) एक कान में प्रकट पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा ।	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य ।
(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य ।

(3) सन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मैम्बरन में छिद्र	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य। कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(ii) के अधीन विचार किया जा सकता है।
	(ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य।
	(iii) दोनों कानों में सन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य।
(4) कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सब नार्मल श्रवण।	(i) किसी एक कान से सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में, सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य।
	(ii) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबल्स हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिए योग्य।
(5) बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य।
(6) नासापट की हड्डी सबंधी/विरूपताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा।	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
	(ii) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य।
(7) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र लेरिंग्स की जीर्ण प्रदाहक दशा	(i) टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य।
	(ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
(8) कान, नाक, गले (ई० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्दम ट्यूमर।	(i) हल्का ट्यूमर—अस्थाई रूप से अयोग्य—
	(ii) दुर्दम ट्यूमर—अयोग्य।
(9) आस्टोस्किलरोसिस	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य।
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष।	(i) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य।
	(ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11) नेजलपाली	अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकलीदांत लगे हों या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपचर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसील बढ़ी हुई वेरिकोसिल वेरि-काजशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

12. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए, जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से उपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (एबेरेशन) से पीड़ित होने का सन्देह होने में बोर्ड का अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है।

नोट:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि इससे संबंधित मेडिकल प्रैक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग-दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

(1) शारीरिक योग्यता (फिटनेश) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए ।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसमें वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए ।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता ।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है । यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीनों से कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा.—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को निर्णय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ।

1. अपना पूरा नाम लिखें ..... (साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें .....

.....

2. (क) क्या अनुसूचित जनजाति या ऐसी जातियों जैसे गारखा, नपाली, असमिया, मेघालय आदिवासी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊंनी, नागा और अरुणाचल प्रदेशीय जातियों से सम्बन्धी हैं जिनका औसत कद स्पष्टः दूसरों से कम होता है । उत्तर में हां या नहीं लिखें और यदि उत्तर "हां" है तो उस जनजाति/जाति का नाम लिखें ।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाली या कोई दूसरा बुखार ग्रंथियां (ग्लैंडस) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिनके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे दें :—

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था ।	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण ।

यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है । उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इससे पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था? ——————————

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ? ——————————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो ——————————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर ——————
मेरे सामने हस्ताक्षर किए ——————
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर ——————

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझकर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ——————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट——————

1. सामान्य विकास : अच्छा——————बीच का ——————कम

पोषण : पतला——————औसत——————माप

——————कद (जूते उतार कर)—————— वजन

——————अत्युत्तम (वजन——————कब था)

——————वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन——————

——————————————

तापमान : ——————————

छाती का घेर ——————————

(1) पूरा सांस खींचने पर——————————

(2) पूरा सांस निकालने पर ——————————

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी——————————

3. नेत्र :—

(1) कोई बीमारी ——————————

(2) रतौंधी ——————————

(3) कलर विजन का दोष ——————————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)——————————

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूटी) ——————————

(6) फंडस की जांच ——————————

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल	सिलि	एक्सिस
दूर की नजर					
दा० ने०					
बा० ने०					
पास की नजर					
दा० ने०					
बा० ने०					
हाईपरमैट्रोपिया (व्यक्त)					
दा० ने०					
बा० ने०					

4. कान : निरीक्षण ——————————सुनना

दायां कान ——————————बायां कान ——————

5. ग्रंथियां ——————————थाइराइड ——————

6. दांतों की हालत ——————————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आर्गेनिक लीजन)——————

गति (रेट) :

खड़े होने पर

कुदाए जाने के बाद ——————————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ——————————

(ख) ब्लड प्रेशर ——————सिस्टालिक ——————

डायस्टालिक ——————————

9. उदर (पेट) घेर ——————————सह्यता

(टेंडरनेस) हर्निया ——————————

(क) दबाकर मालूम पड़ना/जिगर ——————————

तिल्ली ——————गुर्दे ——————

ट्यूमर ——————————

(ख) रक्तार्श

भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) : तांत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) :—

की असमानता :—

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)—हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है।

(ख) आपेक्षिक गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्सरे परीक्षा रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह भारतीय वन सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट :—यदि उम्मीदवार कोई महिला है और वह 1 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो उसे विनियम 10 के अनुसार अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. क्या वह भारतीय वन सेवा में दक्षतापूर्वक और निरन्तर ड्यूटी निभाने के लिए सभी तरह से योग्य पाया गया है।

नोट :—बोर्ड को अपना परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण ——————

(iii) अस्थायी आधार पर अयोग्य जिसका कारण——————

स्थान ——————

तारीख ——————

अध्यक्ष ——————
सदस्य ——————
सदस्य ——————

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1981

आदेश

विषय :—पाडिचेरी-I (पी० वाई-I) कावेरी बेसिन संरचना के 457.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० 12012/1/80 प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तेल भवन देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जाएगा) को पाडिचेरी-I (पी० वाई I) कावेरी बेसिन संरचना के 457.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 13-6-1980 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के जनसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची 'ख' में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी सगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी ।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 10 रुपए
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रुपए
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रुपए
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रुपए, और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रभाग के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट स्पष्ट रूप में देगा तथा हर छः महीने में लिखित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण सामान तथा साधन तैयार रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा ।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसा इकरारनामा भी करेगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक होगा ।

अनुसूची 'क'

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत पाडिचेरी I (पी० वाई-I) कावेरी बेसिन संरचना का अपतटीय क्षेत्र आता है और यह अक्षांश 11° 22' 35" दक्षिण से 11° 35' 9" उत्तर तथा देशान्तर 69° 80' पश्चिम से 80° 00' पूर्व के बीच का है । मानचित्र में कोने के प्वाइंटों अर्थात ए० बी० सी० और डी० को मिलान हुए चिन्हित किया गया है तथा उसका क्षेत्रफल 457.80 वर्ग किलोमीटर है ।

2. यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उसके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तर पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है ।

ब्यौरा

	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
1. प्वाइंट ए है	11	35	9	—	79	50	—
2. प्वाइंट बी है	11	35	9	—	80	00	—
3. प्वाइंट सी है	11	22	35	—	80	00	—
4. प्वाइंट डी है	11	22	35	—	79	50	—

भूमि पर स्थित तीन प्रमुख स्थानों से दूरी निम्नलिखित है ।

कैडालोर	28.75 किलोमीटर
पोर्टनोवो	16.87 किलोमीटर
चिदम्बरम	21.87 किलोमीटर

कूप नं० I

ख—केसिंग हेड कंडेंसेट

अशोधित तेल, केसिंग हेड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उनके मूल्य सहित मासिक विवरण। पांडेचेरी-I (पी० बाई०-I) कावेरी बेसिन संरचना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल 457.80 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हेड कंडेसेन्ट

प्राप्त किए गए कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय कोलौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर ————————

आदेश

विषय :—अंडमान अपतटीय क्षेत्र के बिटा संरचना के 3530.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/12/80-प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जाएगा) के अंडमान अपतटीय क्षेत्र के बिटा संरचना के 3530.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 18-3-1980 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा कैसिंग हैड कंडेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 नियम की आवश्यकता के अनुसार आयोग 28,248 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(ख) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस मे उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 40 रुपए
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए 20 रुपए
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए 100 रुपए;
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए 200 रुपए; और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छ महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यवधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामो के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान था साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे मे निर्धारित किया जाएगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे मे आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रो के लिए व्यवहार्य होगा।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत अंडमान क्षेत्र के बिटा संरचना का क्षेत्र आता है और वह अक्षांश 11° 48' 14.4" दक्षिण से 11.50' 34.45" उत्तर तथा देशान्तर 92.50' 16.44" पश्चिम से 92.54' 45.62" पूर्व के बीच का है तथा मानचित्र में कोने के प्वाइंटों अर्थात ए०, बी०, सी०, डी०, को मिलाते हुए चिह्नित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 3530.63 वर्ग किलोमीटर है।

यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उसके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :—

बीयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
1. प्वाइंट ए है	11	50	34.45	92	50	16.44
2. प्वाइंट बी है	11	50	34.45	92	54	45.62
3. प्वाइंट सी है	11	48	14.4	92	54	45.62
4. प्वाइंट डी है	11	48	14.4	92	50	16.44

भूमि पर स्थित तीन प्रमुख स्थानों से दूरी निम्नलिखित है :—

1. पोर्ट ब्लेयर	20 किलो मीटर
2. दक्षिण अंडमान आइसलैंड	23 किलो मीटर
3. लिटल अंडमान आइसलैंड	120 किलो मीटर

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग हेड कंडेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण। अंडमान अपतटीय क्षेत्र के बिटा संरचना के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल 3530.63 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए लीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हेड कंडेसेट

प्राप्त किए गए कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरो की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोए अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाए गए घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गए घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री———————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस वितरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर ———————

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम में है।

किरन चड्ढा, अवर सचिव

खान विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1981

सं० एफ० 23012/99/80-खान-6—भारतीय खान ब्यूरो और उसके कार्यों में रुचि रखने वाले या उसके कार्यों से संबंधित विभिन्न संगठनों के बीच सम्पर्कों को मजबूत बनाने तथा भारतीय खान ब्यूरो की कार्यप्रणाली की सार्थकता का संगठनों तथा उसकी उपयोगिता और सार्थकता में लगातार वृद्धिकारी तरीकों और उपायों का व्यावहारिक मूल्यांकन करने में सरकार को सहयोग देने की दृष्टि से, भारतीय खान ब्यूरो पुनरीक्षण समिति ने दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारतीय खान ब्यूरो के लिए एक सलाहकार मंडल के गठन की सिफारिश की है। तदनुसार भारतीय खान ब्यूरो के लिए एक सलाहकार मंडल बनाने का निर्णय किया गया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

गठन

अध्यक्ष

1 विशेष सचिव, खान विभाग।

सदस्य-गण

2 महा निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता।

3. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, खनिज अन्वेषण निगम लि०, नागपुर।

4. सलाहकार (आई० एंड एम०), योजना आयोग, नई दिल्ली।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि।

6. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के खनन संगठनों के दो प्रतिनिधि—बारी-बारी से।

7. 'कास्मिक' का प्रतिनिधि।

8 फेडरेशन आफ इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि।

9. राज्य सरकारों के तीन प्रतिनिधि—बारी-बारी से।

10. निदेशक, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला।

11. अध्यक्ष, खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

12. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो।

2. इस मंडल के कार्यों का स्वरूप परामर्शकारी होगा। यह भारतीय खान ब्यूरो और सरकार दोनों को परामर्श देगा। मंडल सरकार के साथ सीधे पत्राचार करने के लिए स्वतंत्र होगा। भारतीय खान ब्यूरो मंडल के सचिवालय की व्यवस्था करेगा। मंडल द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के बारे में निजी नियम और पद्धतियां बनाई जाएंगी लेकिन सरकार मंडल से साल में कम से कम दो बार बैठकें आयोजित करने की आशा रखेगी। मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

कार्य

1. आने वाले वर्ष के लिए कार्यक्रम की समीक्षा करना और सलाह देना।

2. भारतीय खान ब्यूरो के वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों की समीक्षा करना और सलाह देना।

3. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन करना।

4. प्रबंध सूचना और प्रबंध लेखा विधि पद्धतियों के बारे में सलाह देना।

5. भारतीय खान ब्यूरो की कार्यप्रणाली को अधिक सार्थक बनाने के उपायों और तरीकों के बारे में सलाह देना।

कार्यकाल

सलाहकार मंडल का कार्यकाल शुरू में तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की जानकारी सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रि मंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय खान ब्यूरो के नियंत्रक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, परमाणु ऊर्जा विभाग को दे दी जाए।

ए० के० वेंकट सुब्रमणियन,
निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi-1, the 21st January 1981

No. 9/9/79-CS.II.—The rules for a competitive examination to be held by the Staff Selection Commission in 1981, for the purpose of filling temporary vacancies in the Central Secretariat Stenographers' Service—Grade 'D' are published for general information.

2. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and physically handicapped, in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

(i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transfered to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request, after competing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Physically handicapped person means an orthopaedically handicapped person who has a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

No scribe will be allowed to the orthopaedically handicapped and other categories of persons appearing in the examination.

(iii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Dieu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

4. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, or

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c) (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (A) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1-1-1981, i.e., he must have been born not earlier than 2nd January, 1956 and not later than 1st January, 1963.

(B) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Stenographers (including language Stenographers)/Clerks/Steno-typists/Hindi Clerks/Hindi Typists in various Departments/Offices of the Government of India participating in the Central Secretariat Stenographers' Service and have rendered not less than 2 years continuous service as Stenographers (including language Stenographer)/Clerk/Steno-typist/Hindi Clerk/Hindi Typist on 1st January, 1981 and continue to be so employed.

(C) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Candidates admitted to the examination under this age concesion will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

NOTE—The period of "call up service" of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of Rule 5(C) above.

(D) The upper age limit in all the above cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(viii) upto maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapepd person, i.e. Orthopaedically handicapped; and

(xv) upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not re-married.

(E) The upper age limit will also be ralaxable in the case of *ad-hoc* Stenographers Grade 'D' presently in position in the Ministries/Departments/Offices participating in the Central Secretariat Stenogarphers' Service who have been appointed through employment exchanges, provided that they were within age limits at the time of their appointment as Grade 'D' Stenographer on *ad-hoc* basis.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED ABOVE SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.-(i) : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(B) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

N.B. : (ii) : A Stenographer (including language Stenographer/Clerk/Steno-typist/Hindi Clerk/Hindi Typist) who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority, or who is transferred to another post but retains lien on the post from which he is transferred, will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central of State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Comission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government Justifies his admission to the examination.

7. No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a "No Objection Certificate" from his office before being allowed to take the Shorthand Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE :- In the case of disabled ex-Defence Service Personel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates except ex-Servicemen released from the Armed Forces and these who are granted remission of fee *vide* Commission's Notice, must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of -

(i) obtaining support for his candidature by any means,

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornegraphic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period -

(i) by the Commission from any examination or selection held by them,

(ii) by the Central Government, from any employment under them, and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government

15 After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in a list, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified at the examination shall be recommended for appointment to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers Service upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merits at the examination Ex-servicemen who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed against the vacancies reserved for them irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

Provided further that ex servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission, by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination

16 The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result

17 Success in the examination shall confer no right to appoint unless the Government is satisfied, after such inquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointments to the Service.

18 Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination, are given in Appendix II

N S SANKARAN, Under Secy

APPENDIX I

PART A—WRITTEN TEST

The subjects of the examination, the time allowed, the maximum marks for each subject and the syllabus and standard will be as follows —

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) General English	1½ Hours	100
(ii) Essey	1 hour	50
(iii) General knowledge	1½ hours	100

Note —The papers in General English and General Knowledge will consist of Objective Type questions

Standard and Syllabus .

Note —The standard of the question papers will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University

General English —The paper will be designed to test the candidates knowledge of English grammar and composition and generally their power to understand and ability to write correct English Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language The paper may include questions on corect use of words, easy idioms and prepositions, direct and indirect speech, etc

Essay —An essay to be written on one of the several specified subjects

General Knowledge —Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person Candidates answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book

1 Candidates are allowed the option to answer the "Essay" paper either in Hindi or in English. Candidates who opt to answer the "Essay" paper in Hindi will be required to take the shorthand test also in Hindi and these who opt to answer the "Essay" paper in English will be required to take the shorthand test also in English

Note —Candidates desirous of exercising the option to answer the "Essay" paper of the written test and take the shorthand test in Hindi (Devanagri) should indicate their intention to do so in the appropriate column of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the written test and the shorthand test in English.

The option once exercised shall be treated as final, and no request for alteration in the said column shall ordinarily be entertained

2 Candidates must write the papers in their own hand In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them

3 The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination

4 Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test

5 Marks will not be allotted for mere superficial knowledge

6 Deduction upto 5 per cent of the maximum marks for the writen subjects will be made for illegible handwriting

7 Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination

PART B

SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH

(FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)

300 Marks

The details about the Shorthand Test will be as follows —

Scheme of Shorthand Test

The candidates will be given one dictation test in English or in Hindi at 80 Words per minute for 10 minutes The candidates who opt to take the test in English will be required to transcribe the matter in 65 minutes, and the candidates who opt to take the test in Hindi will be required to transcribe the matter in 75 minutes

1 Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them

2 Candidates who opt to take the Shorthand Test in Hindi will be required to learn English Stenography and Vice Versa, after their appointment

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Central Secretariat Stenographers' Service :

The Central Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

(1) Grade A : Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.

(2) Grade B : Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-1040.

(3) Grade C : Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800.

(4) Grade D : Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

2. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examination as may be prescribed by the Government.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the person concerned in his appointment or if his work or conduct in the opinion of the Government has been unsatisfactory he may either be discharged from the Service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons, required to Grade 'D' of the Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

5. Persons recruited to Grade 'D' of the Service will be eligible for promotion to the next higher grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

New Delhi, the 7th February 1981

No. 17011/2/80-AIS(IV).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1981 for the purpose of filling vacancies in the Indian Forest Service are published for general information.

1. The number of vacancies to be filled on the result of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacacies as may be fixed by the Government.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate, belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

4. (a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st July, 1981 i.e. he must have been born not earlier than 2nd July, 1953 and not later than 1st July, 1960.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963.

(viii) up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(ix) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(x) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975; and

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a renatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

5. A candidate must hold a Bachelor's degree with at least one of the subjects, namely, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Zoology or a Bachelor's degree in Agriculture or in Engineering of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act

of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the result as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

6. Candidates must pay the fee prescribed in para 5 of the Commission's Notice.

7. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as workcharged employees, other than casual or daily-rated employees, will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

8. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

9. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

10. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means;

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscence language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

11. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

12. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

13. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

14. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the Service.

15. A candidate shall be required to indicate, in the prescribed proforma at the time of his/her personality test, his/her order of preference for State/joint cadres to which he/she would like to considered for allotment.

16. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination. No fee shall be payable to the Medical Board by the candidate for medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the Standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel and Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with requirements of the Service.

Attention is particularly invited to the condition of medical fitness involving a walking test of 25 Kilometres in 4 hours in the case of male candidates and 14 Kilometres in 4 hours for female candidates.

17. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing; exempt any person from the operation of this rule.

18. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

19. Brief particulars relating to the Service to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

V. R. SRINIVASAN,
Under Secretary

APPENDIX I

SECTION 1

Plan of the Examination

The competitive examination for the Indian Forest Service

(A) Written examination in—

(i) two compulsory subjects viz., General English and General Knowledge [*See* Sub-Section (a) of Section II below]—Maximum marks : 300

(ii) a selection from the optional subjects set up in Sub-Section (b) of Section II below. Subject to the provisions of that Sub-Section candidates must take any two of those subjects—Maximum marks : 400

(B) Interview for Personality Test (*vide* Part B of the Schedule to this Appendix) of such candidates as may be called by the Commission—Maximum marks : 200.

SECTION II

Examination Subjects

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge .	150

(b) Optional subjects vide Sub-Section A (ii) of Section I above:—

Subject	Code No.	Maximum marks
Agriculture	01	200
Botany.	02	200
Chemistry	03	200
Civil Engineering	04	200
Geology .	05	200
Agricultural Engineering	06	200
Chemical Engineering	07	200
Mathematics	09	200
Mechanical Engineering	10	200
Physics	11	200
Zoology	13	200

Provided that the following restrictions shall apply to the above subjects :

(i) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 01 and 06;

(ii) No candidate shall be allowed to take both the subjects with codes 03 and 07.

NOTE.—The standard and syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. The duration of each of the papers referred to in Sub-sections (a) and (b) of Section II above will be 3 hours.

3. Candidates must write the papers in their own hand, In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

8. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of weights and measures only will be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Knowledge will be such as may be expected of a Science/Engineering graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will approximately be that of the Bachelor's degree (Pass) of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

GENERAL ENGLISH

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

NOTE.—The paper in General Knowledge will consist of objective type questions only. For details including sample questions, please see candidates' information manual at Annexure II, to the Commission's Notice.

AGRICULTURE—(Code—01)

Candidates will be required to answer questions from Sections (A) and (B) or Sections (A) and (C) below :

(A) *Agricultural Economics*

Meaning and scope of agricultural economics, significance of study and its relationship with other sciences, importance of agriculture in Indian economy, contribution to national income, comparison with other countries, study of significant economic problems in Indian agricultural production, marketing, labour, credit etc.

Nature of study of farm management, its meaning and scope, relation to other physical and social sciences, concepts and basic principles in farm management. Types and systems of farming-determining factors. Planning for profitable use of land, water, labour and equipment, methods of measuring farm efficiency, nature and purpose of farm book-keeping, farm records and accounts, financial accounting, enterprise accounting and complete cost accounting.

(B) *Agronomy*

Crop Production—Detailed study of KHARIF crops; Paddy, Maize, Jowar, Bajra, Groundnut, Til, Cotton, Sunhemp, moong, Urd with reference to their introduction.

distribution, seedbed preparation, improved varieties sowing and seed-rate inter-culture, harvesting and physical inputs of production of crops.

Detailed study of important RABI crops; Wheat, Barley, Gram, Mustard, Sugarcane, Tobacco, Berseem, with reference to their origin, history, distribution, soil and climate requirements, seedbed preparation, improved varieties, sowing and seed-rate interculture, harvesting storing physical inputs of crops.

Weeds and Weed Control—Classification of weeds; habitat and characteristics of important weeds of India. Injurious effects and losses caused by weeds, chief agencies of weed dissemination, cultural, biological and chemical control of weeds.

Principles of Irrigation and Drainage—Necessity and sources of irrigation water, water requirements of crops common water lifts, duty of water, prevention of wastage of irrigation water, system and methods of irrigation, advantage and limitations of each method. Measurement of irrigation water. Soil moisture, different forms of soil moisture and their importance. Drainage and its necessity, harm caused by excessive water, methods of drainage.

(C) *Soil Science & Soil Conservation*

Definition of soil, its main components, soil profile, soil mineral colloids, cation exchange capacity, base saturation percentage ion exchange, essential nutrients for plant growth, their forms in the soil and their role in plant nutrition. Soil organic matter, its decomposition and its effect on soil fertility. Acid and alkali soils, their formation and reclamation. Effect of organic measures, green manures and fertilizers on soil properties. Properties of common nitrogenous, phosphatic and potassic fertilizers.

Mechanical composition and soil texture, soil pore space, soil structure, soil water, types of soil water, its retention movement, availability and measurement of soil water. Soil temperature, soil air and its importance. Soil structure, its forms and their effect on the physio-chemical properties of soil.

Soil Morphology and Soil Surveying—Earth's crust; soil forming rocks and minerals; their composition and importance in soil formation. Weathering of rocks and minerals factors and processes of soil formation, great soil groups of the world and their agricultural importance. Study of Indian soils. Soil survey and classification.

Principles of Soil Conservation—Soil erosion, factors effecting erosion, soil conservation, soil properties in relation to agronomic and engineering practices, land drainage, needs and practices for agricultural lands, land use classification. Soil conservation, planning and programme.

BOTANY—(Code—02)

1. *Survey of the Plant Kingdom.*—Difference between animals and plants : Characteristics of living organism : Unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of the division of the plant kingdom.

2. *Morphology*—(i) *Unicellular plants*—Cell, its structure and contents : division and multiplication of cells.

(ii) *Multicellular plants.*—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants : external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history.*—Of at least one member of the following Categories of plants : Bacteria, Cyanophyceae. Chlorophyceae Phaeophyceae. Phodophyceae. Phycompycetes, Ascomycetes. Basidiomycetes. liverworts, Mosses, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms.

4 *Taxonomy.*—Principles of classification · principal systems of classification of angiosperms : distinctive features and economic importance of the following families : Graminea, Scitaminae. Palmaceae. Liliaceae. Orchidaceae Moraceae. Loranthacene. Magnoliaceae. Lauraceae Cruciierae. Rosaceae. Leguminosae Rutaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae. Anacardiaceae. Malvaceae, Apocynaceae. Asclepiadaceae. Dipterocapaceae. Myrtaceae Umbeliferalibiatae. Solanaceae. Rubiceae. Cucumbitaceae. Vercaunanceae and Compositae.

5 *Plant Physiology.*—Autotrophy, heterotrophy. Intake of water and nutricents, transpirations, photosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth reproduction : Plant/animal relation, symbiosis, parasitism, enzymes, auxims, hormones, photopariodism.

6. *Plant Pathology.*—Cause and cure of plant diseases; Disease organisms. Viruses, deficiency disease; Disease resistance.

7. *Plant Ecology.*—The basic facts relating to ecology and plant geography, with special relation to Indian flora and the botancical regions of India.

8. *General Biology.*—Cytology, Genetics, plant, breeding. Mendelism, hybridvigour, Mutation Evolution.

9. *Economic Botany.*—Economic uses of plants, esp. flowering plants, in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugars and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber drugs and essential oils.

10. *History of Botany*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

CHEMISTRY—(Code—03)

1. *Inorganic Chemistry*

Electronic configuration of elements, Aufbau, principle Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and fusion.

Electronic Theory of valency. Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Werner's theory of coordination compounds. Electronic configurations of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations.

Oxidation states and Oxidation number, Common oxidising and reducing agents. Ionic equation.

Lewis and Bronsted theories of acid and, bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction isolation (and metallurgy) of important elements.

Shructures of hydrogen peroxide diborane, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorus, chlorine and sulphur.

Inter gases : Isolation and chemistry.

Principles of inorganic chemical analysis.

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid cement, glass and artificial fertilizers.

2. *Organic Chemistry*

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements—inductive messomeric and hyperconjugative effects Resonance and its application to organic Chemistry, Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes. Petroleum as a source of organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds, Alcohols, aldehydes, Ketones, acids, halides, esters, ethers, acid anhydrides, chlorides and amides. Monobasic hydroxy, ketonic and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric citric, maleic and fumaric acids. Carbohydrates. classification and general reactions. Glucose fructose and sucrose.

Stereochemistry : Optical and geometrical isomerism. Concept of conformation.

Benzene and its simple derivatives : Toulene, xylenes, phenols, halides, nitro and amino compounds, Benzoic, salicyclic cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketones. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Napthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry*

Kinetic theory of gases and gas laws, Maxwell's law of distribution of velocities. Van der Waal's equation. Law of corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Ration of cp/Cv.

Thermodynamics : The first law of thermodynamics. Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy. Heat capacities Thermochemistry—heats of reaction, formation solution and combustion. Calculation of bonds energies. Kirchoff equation.

Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermodynamics. Entropy. Free energy, Criteria of Chemical equilibrium.

Solution, Osmotic pressure, lowering of vapour pressure, depression of freezing point, elevantion of boiling point. Determination of molecular weights in solution. Association dissociation of solutes.

Chemical equilibria. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier principle. Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electro chemistry : Faraday's laws of electrolysis, conductivity of an electrolyte : equivalent conductivity and its variation with dilution; solubility of sparingly soluble salts, electrolytic dissociation. Ostwards dilution law; anomaly of strong electrolytes; solubility product strength of acids and basis; hydrolysis of salts; hydrogen concentration; buffer action; theory of indicators;

Reversible cells. Standard, hydrogen and calomel electrodes. Electrode and redtox-potentials. Concentrations cells Determination of pH. Transport number. Ionic product of water. Potentiometric titrations.

Chemical Kinetics; Molecularity and order of a reaction. First order and second order reactions. Determination of order of a reaction, temperature coefficients and energy of activation. Collision theory of reaction rates. Activated complex theory.

Phase rule; Explanation of the terms involved. Application to one and two component systems. Distribution law.

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of preparation and properties of colloids. Coagulation. Protective action and gold number. Adsorption.

Catalysis. Homogeneous and heterogeneous catalysis. Promotors. Poisoning.

Photochemistry : Laws of photochemistry. Simple numerical problems.

CIVIL ENGINEERING—(*Code*—04)

1. *Building materials and Properties and strength of materials*—

Building materials—Timber, stone, brick, lime, tile, sand surkhi, mortar and concrete, metal and glass—Structural properties of metals and alloys used in engineering practice.

Stresses and strains—Hook's law—Bending. Torsion and direct stresses, Elastic theory of bending of beams maximum and minimum stresses due to eccentric loading. Binding moment and Shear force diagrams and deflection of beams under static and live loads.

2. *Building construction and water supply and sanitary engineering*—

Construction—Brick and stone masonry walls, floors and roofs, staircases, carpentry in wooden floors, roofs ceiling, doors and windows, finishes (plastering, pointing painting and varnishing etc.)

Soil mechanics—Soils and their investigations. Bearing capacities and foundations of buildings and structures—principles of design.

Building estimates—Principle units of measurement : Taking out quantities for building and preparation of abstract of costs—specifications and data sheets for important items.

Water supply—Sources of water. Standards of purity, methods of purification, layout of distribution system, pumps and boosters.

Sanitation—Sewers, storn water overflows, house drainage requirements and appurtenances, septic tanks, Imhofi tanks. sewage treatment and dispersion trenches—Activated sludge process.

3. *Roads and bridges* :

Survey and alignment—Highway materials and their placements, Principles of design—width of foundation and pavement, camber, gradient curves and super-elevation—Retaining walls.

Construction—Earth roads, stabilized and water bound macadam roads, bituminous surfaces and concrete roads. Draining of roads : Bridges—Types, economical spans, I.R.C. loading, designing superstructure of small span bridges—Principles of designing foundation of abutments and piers of bridges, pile and well foundations.

Estimating Earthwork for roads and canals.

4 *Structural Engineering* :

Steel structures—Permissible stresses, Design of beams simple and built-up columns and simple roof trusses and girders column bases and grillages for axially and eccentrically loaded columns—Bolted; rivetted and welded connections.

R.C.C. strutures—Specification of materials used—proportioning workability and strength requirement—I.S.I. standards for design loads permissible stresses in R.C.C. members subject to direct and bending stresses—Design of simply supported overhanging and cantilever beams, rectangular and T beams in floors, roofs and lintels—axially loaded columns; their bases.

GEOLOGY—(*Code*—05)

1. *General Geology* :

Origin, age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion : Soil types, their classification and soil groups of India; Physiographic sub-divisions of India. Vegetation and topography; Volcanoes, earthquakes, mountains, diastrophism.

2. *Structural Geology* :

Common structure of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, Dip, strike and slopes; folds, faults and unconformities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy* :

Elementary knowledge of crystal symmetry. Laws of crystallography. Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology* :

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology* :

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy* :

Principles of stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological records. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaeontology* :

The bearing of palaeontological data upon evolution. Forsils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

AGRICULTURAL ENGINEERING—(*Code*—06)

1. *Soil and Water Conservation*—Definition and scope of soil conservation; Mechanics and types of erosion their causes. Hydrologic cycle rainfall and runoff—factors affecting them and their measurements, stream gauging— Evaluation of runoff from rainfall. Erosion control measures—biological and Engineering.

Basic open channel hydraulic. Design of soil conservation structures—terraces, bunds, outlets and grassed waterways. Principles of flood control, Flood routing. Design of farm ponds and earth dams. Stream bank erosion and its control. Wind erosion and its control. Principles of watershed management.

Investigation and planning in River Valley projects.

2. *Irrigation and drainage*—Soil-water-plant relationships. Sources and types of irrigation. Planning and design of minor irrigation projects. Techniques of measuring soil moisture.

Duty of water-consumptive use. Water requirements of crops. Measurement and cost of irrigation water. Measuring devices—flow through orifices, wires and flumes. Levelling and layout of irrigation systems. Design and construction of channels, field channels, pipe lines, head-gates, diversion boxes structures and road crossing. Occurrence of ground water, Hydraulics of wells Types of wells, their construction, drilling methods. Well development. Testing of wells.

Drainage—Definition—causes of water logging. Methods of drainage. Drainage of irrigated lands. Design of surface and sub-surface systems.

3. Building materials—kinds of building materials—their properties. Timber, brickwork and R. C. construction. design of columns, beams, roof trusses, joints. Layout of a farmstead. Design of farm houses, animals shelters and storage structures. Rural water supply and sanitation.

Farm power and machinery—Construction of different types of internal combustion engines. Ignition, fuel lubricating, cooling and governing systems of IC engines. Different types of tractors. Chassis transmission and steering. Farm machinery for primary and secondary tillage, seeding machinery, interculture tools and machinery. Plant production equipment. Harvesting and threshing equipment. Machinery for land development. Pumps and pumping machinery.

5. Electricity and rural electrification. Power generation and transmission : Distribution of electricity for rural electrification; A.C. and D.C. circuits.

Use of electric energy on the farm. Electric motors used in agriculture—types, selection, insallation and maintenance.

CHEMICAL ENGINEERING—(*Code*—07)

1. Transport phenomena : (Under steady state conditions);

(a) Momentum transfer :

(i) Different patterns of flow and their criteria.

(ii) Velocity profile.

(iii) Filtration; sedimentation; centrifuge.

(iv) Flow of Solids through fluids.

(b) *Heat transfer* : Different modes of heat transfer : Conduction—calculation for single and composite walls of flat, cylindrical and spherical shapes.

Convection—different dimentionless groups used in forced and free convection. Equivalent diameter. Determination of individual and overall heat transfer coeff.

Evaporation—Radiation—Stefan Boltzman law.

Emmissivity and obsorptivity. Geometrical shape factor, Heat load of furnaces—calculation.

(c) *Mass transfer* : Diffusion in gases and liquids. Absorption, desorption, humidification, dehumidification, drying and distillation Analogy between momentum, heat and mass and transfer.

2. *Thermodynamics* :

(a) 1st : 2nd and 3rd laws of thermodynamics.

(b) Determination of internal energy, entropy, enthalpy and free energy—Determination of chemical equilibrum constants for homogeneous and heterogeneous system. Use of thermodynamics in combustion, distilation and heat transfer. Mechanism and theory of mixing, various mixers for liquid-liquid, solid-liquid and solid-solid.

3. *Reaction engineering* :

(i) Kinetics : Homogeneous and heterogeneous reactions 1st and 2nd order reactions.

Batch and flows—Reactors and their design.

(ii) Catalysis—Choice of catalysis;

Preparations;

Mechanics of catalysis based upon mechanism.

4. Transportation—Storage and transport of materials and in particular, powers, resins, volatile and non-volatile liquids, emulsions and dispersions, pumps, compressors and blowers Mixers—Mechanisms and theory of mixing various mixers for liquid-liquid; solid-liquid; solid solid.

5. Materials—Factors that determine choice of materials of construction in chemical industries.—Metals and alloys, ceramics, plastics and rubbers. Timber and timber products, plywood laminates.

Fabrication of equipment with particular reference to production of vats, barrels, filter presses etc.

6. Instrumentation and process control—Mechanical. hydraulic, pneumatic, thermal, optical, magnetic, electrical and electronic instruments. Controls and control systems. Automation.

MATHEMATICS—(*Code*—09)

PART A

Algebra :

Algebra of sets, relations and functions, inverse of a function, composite function, equivalence relation.

Numbers : integers rational numbers, real numbers (statement of properties), complex numbers, algebra of complex numbers.

Group sub-groups, normal sub-groups, cyclic and permutation groups, Lagrange's theorem, isomorphism.

De-Moivre's theorem for rational index and its simple applications.

Theory of Equations : Polynomial equations, transformation of equations, relations between roots and coefficients of a polynomical equation, symmetric function of roots of cubic and biquadratic equations, location of roots and Newton's method for finding roots.

Matrices : algebra of matrices, determinants—simple properties of determinants, product of determinants adjoint of a matrix, inversion of matrices rank of a matrix, application of matrices to the solution of linear equations (in three unknowns).

Inequalities : arthmatic and geometric means. Cauchy Schewarz inequality (only for finite sums).

Analytic Geometry of two dimensions.—Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles. (Ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axis). Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytic Geometry of three dimensions.—Planes, straight lines and spheres (Cartesian Co-ordinates only).

Calculus and Differential Equation :

Differential calculus : Concept of limit; continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation. Roll's theorem, Mean value theorem, Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate

forms, Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal, subtangent, subnormal, asympototic curvature (Cartesian coordinates only). Envelopes, partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus: Standard methods of integration, Riemann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of Integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's rule for numerical integral.

Convergence of sequence and series, test of convergence of series with positive terms. Ratio, root and Gauss tests. Alternating series.

Differential Equations. Solution of standard first order differential equation. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay. Simple harmonic motion, Simple pendulum and the like.

PART B

Mechanics: (Vector methods may be used)

Statics—Representation of a force, parallelogram of forces, composition and resolution of forces and conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces. Triangle of forces. Like and unlike parallel forces. Moments. Couples. General conditions for equilibrium of coplanar forces, centre of gravity of simple bodies. Friction—static and limiting friction, angle of friction, equilibrium of a particle on a rough inclined plane, simple problems, simple machines (lever, system of pulleys, gear). Virtual work (two dimentions).

Dynamics.—Kinematics—displacement, speed, velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration. Newton's laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse, work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular motion.

Astronomy:

Spherical Trigonometry.—Sine and cosine formulae, properties of right-angled spherical triangles.

Spherical Astronomy—Celestial sphere, Coordinate systems and their conversion. Diurnal motion. Sidereal and solar times, mean solar time, local and standard times, equation of time. Rising and setting of the sun and stars, dip of the horizon. Astronomical refraction. Twilight. Parallax, abberration, procession and nutation. Keplers laws. Planetary orbits and stationary points. Apparent motion of the moon, phases of the moon. Astronomical Instruments—Sextant, transmit instrument.

Statistics:

Probability.—Classical and satistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability, Random variables (discrete and continuous), density function. Mathematical expectation.

Standard distributions—Binomial—definition, mean and variance, skewness, limiting form, simple applications; Poison—definition, mean and variance, additive property, fitting of Poison distribution to given data; Normal—simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data.

Bivariate distribution—Correlation, linear regression involving two variables fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distributions and simple tests of hypothesis: Random sample, Statistic. Sampling distribution and standard error. Simple application of the normal, t chi^2 and F distributions to testing of significance of difference of means.

NOTE :—Candidates will be required to answer compulsorily from Part A of the syllabus one question on each of the three topics viz. (1) Algebra (2) Analytic Geometry of two and three dimensions and (3) calculus and Differential Equation. From Part B of the syllabus it will be compulsory to answer at least one question on any one of the three topics viz. (1) Mechanics (2) Astronomy and (3) Statises.

MECHANICAL ENGINEERING—(Code—10)

1. *Strength of Materials*

—Stresses and strains—Hooke's Law and relations between elastic constants—Compound bars in tension and compression and stresses due to temperature changes.

Bending Moment, shear force and deflection in simple supported overchanging and cantilever beams for simple loading.

Torsion in round bars—Transmission of power by shafts—springs.

Simple cases of combined bending and direct stresses, and combined bending and torsion.

Elastic theory of failure—Stress concentration and fatique.

2. *Theory of machines and Machine Designs*

Relative velocities of parts in machines graphically and by calculation.

Crank effort diagram of engines—Speed-variation of flywheels. Governors. Power transmitted by belt drives—Friction and lubrication of journals and thrust bearings, ball and roller bearings. Design of fastenings and locking devices—Proporations for rivetted, bolted and welded joints and fastenings.

3. *Applied Thermodynamics*

Fuels Combustion—Air supply—Analysis of fuels and exhaust gases.

Boilers, Superheaters and Economisers—Boilers mountings and accessories—Boiler trial.

Physical properties of steam—Steam tables and their use.

Laws of Thermodyanamics—Gas Laws—Expansion and compression of gases—Air compressors.

Ideal and actual engine cycle—Use of temperature—entropy, heat-entropy and pressure-volume charts and diagrams.

Simple steam engines and Internal combustion engines.

Indicators and Indicator Diagrams—Mechanical. Thermal, air standard and actual efficiencies—General construction—Engine trial and heat balance.

4. *Production Engineering*

Common machine tools—Working principles and designs features of Lathes, shapers, planers, drilling machines—Milling machines—Grinding machines—Jigs and fixtures. Metal cutting tools—Tools materials—Tool geometry.

Cutting forces—Abrasice Wheels.

Welding—Weldability and different welding processes—Testing of welds.

Forming process—moulding, casting, forging rolling and drawing of metals.

Metrology—Linear and angular measurements—Limits and fits. Measurement of screws and gears—Surface finish—Optical instruments.

Industrial enginering—Methods study and work measurement—Motion-time data—Work sampling—Job evaluation—Wages and incentives—Planning, control, Plant layout.

5. *Fluid Mechanics and Water power*

Bernoulli's equation—Moving plates and vanes—Pumps and turbines. Design principles, application and characteristic curves; Principles of similarity; Governing—Hydraulic accumulators and intensifiers—Cranes and lifts—Surge tanks and Storage reservoirs.

PHYSICS—(*Code* 11)

1. *General properties of matter and mechanics*

Units and dimensions; Scalar and vector quantities; Moment of inertia, work, energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation; Simple harmonic motion; Simple and compound pendulum; Kater's pendulum; Elasticity. Surface tension; Viscosity of liquids, Rotary pumps; Mcleod gauge.

2. *Sound*

Damped, forced and free vibrations; Wave motion, Doppler effect; Velocity of sound waves; Effect of pressure, temperature, humidity on velocity of sound in a gas; Vibration of strings, bars, plates and gas columns; Resonance; Beats; Stationary waves; Measurement of frequency, velocity and intensity of sound; Musical scales; Acoustics in architecture; Elements of ultrasonics. Elementary principles of grumophones, talkies and loudspeakers.

3. *Heat and Thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases; Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzmann's distribution law; Van der Waal's equation of States; Joule Thomson effect; liquefaction of gases; Heat engines, Carnot's theorem, Laws of thermodynamics and simple applications, Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light; Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces; Defects in optical images and their corrections; Eye and other optical instruments; Wave theory of light; Interference; simple interferometer; Diffraction; Diffraction Grating; Polarisation of light; Elements of spectroscopy.

5. *Electricity and magnetism*

Calculation of electric field intensity and potential in simple cases, Gauses theorem and simple applications; Electrometers, Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter, Hysterisis permeability and susceptibility; magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers; Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination, thermoelectric effects; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

Elements of Bohr's theory of atom; Electrons, Cathode rays and X-rays; Measurement of electronic charge and mass.

ZOOLOGY—(Code 13)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure, habits, and life-history of the following non-chordate types :

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liveflue, tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach housefly mosquito, scorpin, freshwater mussel, pond small and starfish (external characters only).

Economic importance of insects. Bionomics and life-history of the following insects : termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordate up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types :

Branchiostoma; Scolidon, frog; Uromastix or any other lizard (Skeleton of *varanus*); pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit, rat or squirrel.

Elementary knowledge of the histology and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit, Endrocine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammallana placenta.

General principles of evolution, variations heredity; adaptation; recapitulation hypothesis, Mendelian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis, metamorphosis, alteration of generations.

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game Birds.

PART B

Personality Test.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess the personal suitability of the candidates for the Service. The candidate will be expected to have taken an intelligent interests not only in his subject of academic study but also in events which are happening around him both within and outside his own State or country, as well as in modern currents of thoughts and in new discoveries which should rouse the curiosity of well educated youth.

2. The technique of the interview is not that of a strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation, intended to reveal the mental qualities of the candidate. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity critical powers of observation and assimilation, balance of judgment and alertness of mind initiative, tact capacity for leadership; the ability for social cohesion, mental and physical energy and powers of practical application : integrity of character; and other qualities such as topographical sense, love for out-door life and the desire to explore unknown and out of way places.

APPENDIX II

(*Vide* Rule 19)

Brief particulars relating to the Indian Forest Service (*vide* Rule 19).

(a) Appointments will be made on probation for a period of three years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Forest Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under State Government.

(f) Scales of pay :

Junior Scale.—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300 (15 years).

Senior scale :

(a) Time Scale :—Rs. 1100—(6th year or under)—50—1600 (16 years).

(b) Selection Grade.—Rs. 1650—75—1800.

Conservator of Forests.—Rs. 1800—100—2000.

Deputy Chief Conservator of Forests (in States where such a post exists).—Rs. 2000—125/2—2250.

Additional Chief Conservator of Forest (in State where such a post exists).—Rs. 2250—125/2—2500.

Chief Conservator of Forests.—Rs. 2500—125/2—2750.

Deputy Inspector General of Forests.—Rs. 2000—125/2—2250 plus a special pay of Rs. 300 p.m.

Additional Inspector General of Forests.—Rs. 2500—100—3000.

Inspector General of Forests.—Rs 3000—100—3500.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will be started on the junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) Provident Fund.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service Provident Fund, Rules, 1955.

(h) Leave.—Officers of the Indian Forest Service are governed by the All India Service (Leave) Rules, 1955.

(i) Medical Attendance—Officers of the Indian Forest Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Service (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) Retirement Benefits.—Officers of the Indian Forest Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(*Vide* Rule 15)

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examinaers.

2. The Government of India, reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. Walking test : The male candidates will be required to qualify in walking test of 25 kilometres to be completed in 4 hours and female candidates 14 kilometres to be completed in 4 hours. The arrangement for conducting this test will be made by the Inspector General of Forests, Govt. of India so as to synchronise with the sittings of the Medical Board.

3.(a) In the matter of the correlation of age height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) The Minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :

Height	Chest girth (fully expanded)	Expansion
163 cms.	84 cms.	5 cms. (for men)
150 cms.	79 cms.	5 cms. (for women)

The following minimum height standards may be allowed in the case of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races such as Gorkhas, Nepalese, Assamese, Meghalaya, Tribals, Ladakhese, Sikkimese, Bhutanese, Garhwalis, Kumanis, Nagas, and Arunachal Pradesh candidates, whose average height is distinctly lower :—

Men	..	152.5 Cms.
Women	..	145.0 Cms.

4. The candidates height will be measured as follows:—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttock, and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

5. The candidate's chest will be measured as follows:—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken round the chest. The arms will then be lowered to hang lossely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace to the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

6. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half a kilogram should not be noted.

7. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded—

(i) General.—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eye-lids or contiguous structures of such a sport as to render, or likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) Visual Acquity.—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected Vision)	Worse eye
6/6 or 6/9	J.I J.I	6/1 or 6/9	J.II J.II

NOTE :—

(1) *Fundus Examination.*—In every case of Myopia Fundus Examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he/she should be declared unfit.

The total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4.00D. Total amount or Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

Provided that in case a candidate is found unfit on ground of high myopia, the matter shall be referred to a special board of three opthalmologists to declare whether this myopia is pathological or not. In case it is not pathological, the candidate shall be declared fit, provided he fulfils the visual requirements otherwise.

(2) *Colour Vision.*—(i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower Grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidate	16 feet
2. Size of aperture	1·3 mm.
3. Time of exposure	5 sec.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates shown in good light and suitable lantern like Edrige Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

(3) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the permeter.

(4) *Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough test, e.g. recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration.

(5) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(a) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) Trachoma.—Trachoma, unless complicated, shall not ordinarily be a cause of disqualification.

(c) *Squint.*—As the presence of binocular vision is essential squint even if the visual acquity is of the prescribed standard, should be considered as a disqualification.

(d) One-eyed persons.—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

8. Blood Pressure

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15-25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 144 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cufl. The cufl is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level, they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent gap' may cause error in reading).

9. The urine (Passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs of symptoms suggestive of diabets. If, except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standards of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out necessary whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision

10. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

11. The following additional points should be observed:—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one year, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.

(3) Perforation of tympanic membrane of central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity. Fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms —Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/ or Larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT.	(i) Benign tumours—Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumours Unfit.
(9) Otosclerosis	If the hearing is with in 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) if not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree Unfit.
(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit

(b) that his/her speech is without impediment;

(c) that his/her teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of vericose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect.

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

12. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere in the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

In case of doubt regarding health of a candidate the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital Specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g. if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect of aberration, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

Note—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board special or standing appointed to determine their fitness for the above services. If, however, Government are satisfied on the evidence, produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a Second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate, otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board Whenever a woman candidate is to be examined.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by a treatment (medical or surgical) a statement to the effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....

2. State your age and birth place.....

2a*

3. (a) Have you ever had small-pox intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, ashthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism appendicitis.

OR

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?.....

Do you belong to Scheduled Tribes* or to races such as Gorkhas, Nepalese, Assamese, Meghalaya Tribals, Ladakhees, Sikkimese, Bhutanese, Garwalies, Kumaonies Nagas and Arunachal Pradesh, whose average height is distinctly, lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the tribe/race.

4. When were you last vaccinated ?.....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? .....

6. Furnish the following particulars concerning your family :—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers, dead, their ages at and cause of death.

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death.

7. Have you been examined by a Medical Board before ? .....

8. If answer to the above is, Yes please state what Service/Services you were examined for ?.....

9. Who was the examining authority ? .....

10. When and where was the Medical Board held ?

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Signed in my presence.

Candidate's Signature

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information will incur the risk of losing the appointment and if appointed of forfeiting all claims to Superannuation Allowance or gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination.

1. General development; Good ..... Fair..... Poor .....

Nutrition : ..... Thin .... Average .... Obese ..... Height (Without shoes) ....., Weight ..... Best Weight ..... When ? ..... Any recent change in weight ? ..... Temperature .....

2. Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Funds Examination .....

Acquity of Naked eye vision	With glasses	*Strength of glasses* Sph.	Cyl.	Axis.
Distant vision				
R.E.				
L.E.				
Near vision				
R.E.				
L.E.				
Hypermetropia (manifest)				
R.E.				
L.E.				

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear ..... Left Ear .....

5. Glands ..... Thyroid .....

6. Conditions of teeth .....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If, yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesions ? ..... Rate Standing .....

After hopping 25 times.....

2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdoment : Girth.....Tenderness..... Hernia .....

(a) Palpable Liver..... Spleen..... Kidneys ..... Tumours .....

(b) Haemorrhoids ..... Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disability .....

11. Loco-Motor System : Any Abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen. .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the Indian Forest Service ?

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* Regulation 10.

15 Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of duties in the Indian Forest Service?

NOTE :—The Board should record their findings under one of the following three categories ?

(i) Fit

(ii) Unfit on account of.....

(iii) Temporarily unfit on account of.....

Place.....

Date.....

Chairman.....

Member.....

Member.....

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 12th January, 1981

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Pondicherry-1 (PY-1) Cauvery Basin Structure area measuring 457.80 Sq. Kms.

No. 12012/11/80-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Ooil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four year from 13-6-1980 for Pondicherry-1 (PY-1) Cauvery Basin Structure area measuring 457.80 Sq Kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding months in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Scedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules. 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of reneral.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by givink not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules. 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of demage due to the fire.

(j) The exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act. 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

The area covered by the Petroleum Exploration Licence falls in Pondicherry-1 (PY—1) Cauvery Basin Structure offshore area and lies between latitudes 11° 22·35′ Soutnh to 11° 35·9′ to North and longitude 79° 50′ West to 80° 00′ to East and is delineated on the map by the line joining the Croner Points ABC & D and measures 457 80 Sq. Kms.

2. The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall and the distance between them are as follows:—

Bearning

	Latitudes			Longitudes		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
Point A is at . .	11	35·9	—	79	50	—
Point B is at . .	11	35·9	—	80	00	—
Point C is at . .	11	22·35	—	80	00	—
Point D is at . .	11	22·35	—	79	50	—

The approximate distance from three prominent places of land are as follows:—

Caddalore	28·75 Kms.
Portonovo	16 87 Kms.
Chidambaram Well No. 1 . .	21·87 Kms.

.....

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exporation Licence for Pondicherry-I (PY-I) Cauvery Basin Structure Area measruing 457·80 Sq. Kms

Month and year

A. Crude Oil

Total No of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Meric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	REMARKS
1.	2	3.	4.	5

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	Nol of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained.	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5

I, Shri . . do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this retrun is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

ORDER

SUBJECT : *Grant of Petroleum Exploration Licence for Beta Structure of Andaman off-shore area measuring 3530.63 Sq. Kms.*

No. 12012/12/80-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four year from 18th March, 1980 in Beta Structure of Andaman off-shore area measuring 3530.63 Sq. Kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time. The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 28,248/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to off-shore areas as approved by the Central Government.

Schedule A

The area covered by the Petroleum Exploration licence falls in the Beta Structure of Andaman area and lies between latitudes 11° 43′ 14·4″ South to 11° 50′ 34·45″ North and longitudes 92° 50′ 16·44″ West to 92° 54′ 45·62″ East and is delineated on the map by the line joining the corner points ABC & D and measures 3530·63 Swq. Kms. in area.

The latitude and longitude on which the points covering the area fall and the distance in between them are as follows:—

Bearing	Latitudes			Longitudes		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
(1) Point A is at . .	11	50	34·45	92	50	16·44
(2) Point B is at . .	11	50	34·45	92	54	45·62
(3) Point C is at . .	11	48	14·4	92	54	45·62
(4) Point D is at .	11	48	14·4	92	50	16 44

Approximate distances of the farthest point from three prominent places on land as follows:—

1. Port Blair . . . . . 20 Kms.
2. South Andaman Island . . . 23 Kms.
3. Little Andaman Island . . . 120 Kms.

. . . . . .

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for Beta Structure of Andaman.

Area measuring 3530 63 Swq. Kms.

Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3.	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

B. Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained.	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained.	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5

I, Shri ..... do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Singature)

By order and in the name of the President of India.

Mrs. KIRAN CHADHA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 12th January 1981

RESOLUTION

No. F.23012/99/80-MVI.—With a view to strengthening the links between Indian Bureau of Mines and the various organisations interested in or connected with the functions of the Indian Bureau of Mines and to enable the Government to have objective appraisal of the effectiveness of the working of the Indian Bureau of Mines and of the ways and means by which its utility and effectiveness can be continually enhanced, the Indian Bureau of Mines Review Committee, in its Report submitted in December, 1979, has recommended the formation of an Advisory Board for Indian Bureau of Mines. Accordingly it has been decided to constitute an Advisory Board for the Indian Bureau of Mines with the following composition :—

COMPOSITION

Chairman

1. Special Secretary, Department of Mines.

Members

2. Director General, Geological Survey of India,
2. Director General, Geological Survey of India Calcutta.
3. Chairman-*cum*-Managing Director, Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.
4. Adviser (I&M), Planning Commission, New Delhi.
5. Representative of Department of Science & Technology.
6. Two representatives of Central Public Sector Mining Organisations—by rotation.
7. Representative of COSMIC
8. Representative of FIMI
9. Three representatives of State Governments—by rotation.
10. Director, National Metallurgical Laboratory
11. Chairman, Mineral Development Board, New Delhi.

Member-Secretary

12. Controller, Indian Bureau of Mines.

2. The functions of the Board will be advisory in character. It will advise both the Indian Bureau of Mines and the Government. The Board will be at liberty to correspond directly with Government. The Indian Bureau of Mines will provide the secretariat of the Board. The Board should devise its own working rules and procedures, but the Government would expect it to meet at least twice a year. The functions of the Board will be as follows :—

FUNCTIONS

1. To review and advise on the programme of work during the coming year.
2. To review and advise on the Annual and Five Year Plan proposals of Indian Bureau of Mines.
3. To appraise from time to time the work, in different areas, done by the Indian Bureau of Mines.
4. To advise on systems of management information and management accounting.
5. To advise on ways and means of making Indian Bureau of Mines functioning more effective.

TENURE

The tenure of the Advisory Board will initially be for three years.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Controller, Indian Bureau of Mines, Geological Survey of India, Department of Atomic Energy.

A. K. VENKAT SUBRAMANIAN, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981